सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
राजस्व क्षेत्र
पर
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजस्व क्षेत्र
पर

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-1

विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	4
निर्धारणों में बकाया	1.3	5
विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन	1.4	6
प्रत्यर्पण मामले	1.5	6
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	6
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.2	7
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.6.3	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-**सारांशित स्थिति**	1.6.4	8
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण	1.7	9
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7.1	9
स्वीकार किए गए मामलों में वसूली	1.7.2	10
विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.7.3	10
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.8	11
लेखापरीक्षा योजना	1.9	11
लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	11
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति		
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.11	12
अध्याय-II: बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर		
कर प्रशासन	2.1	13
लेखापरीक्षा परिणाम	2.2	13
पट्टाधारियों से पट्टा राशि की अवसूली	2.3	14
कर की गलत दर लागू करना	2.4	15
अमान्य, डूप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति	2.5	16
प्रवेश कर का भुगतान न करने के कारण राजस्व हानि	2.6	17
सकल बिक्री का गलत निर्धारण	2.7	17

अध्याय: -III: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	3.1	19
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	19
बिक्री केन्द्रों को न खोलने पर लाइसेंस फीस की अल्प वसूली	3.3	19
न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना	3.4	20
लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना	3.5	22
शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की गैर-वसूली	3.6	22
आसवनी/बंधक माल गोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ के वेतन की अवसूली/अल्प वसूली	3.7	23
देशी शराब के बोतलीकरण पर लाइसेंस फीस तथा ब्याज की अल्प वसूली	3.8	24
एल-13 बिक्री केन्द्र को न खोलने के लिए निर्धारित फीस की अवसूली	3.9	25
मनोरंजन शुल्क की अवसूली	3.10	26
अध्याय-IV: स्टाम्प शुल्क		
कर प्रशासन	4.1	29
लेखापरीक्षा परिणाम	4.2	29
सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली	4.3	30-33
निर्मित ढांचें पर स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली	4.4	33
सम्पति के बाजारी मूल्य का अल्प-निर्धारण	4.5	34
गलत दर लागू करने के कारण स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली	4.6	35
पट्टा विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली	4.7	36
अध्याय-V: वाहन, माल व यात्री कर		
कर प्रशासन	5.1	39
लेखापरीक्षा परिणाम	5.2	39
आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली	5.3	40-46
सांकेतिक कर की अवसूली	5.4	47
प्रयोक्ता प्रभारों को कम जमा करवाना	5.5	48
विशेष पथकर की अवसूली/अल्प-वसूली	5.6	49
हिमाचल पथ परिवहन निगम पर उद्ग्रहणयोग्य विशेष पथ कर का अल्प-निर्धारण	5.6.1	49
निजी स्टेज कैरिजों	5.6.2	50
अन्य राज्यों की स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर की अल्प-वसूली	5.6.3	50

विवरण		संदर्भ	
		परिच्छेद	परिच्छेद
अध्याय-VI: वन प्राप्तियां			
कर प्रशासन		6.1	51
लेखापरीक्षा परिणाम		6.2	51
जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन		6.3	51
रॉयल्टी दरों में गलत दरों को लागू करने के कारण रॉयल्टी की अल्प-वसूली		6.4	52
वृक्षों की लागत की अवसूली/अल्प-वसूली		6.5	53
विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण		6.6	54
वृक्षों का अवैध कटान		6.7	54
परिशिष्ट			
I	अमान्य, डूप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति	2.5	57
II	सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली की कार्यविधि	4.3.1	58
III	अन्य राज्यों की स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर की अल्प वसूली	5.6.3	59

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों के राजस्व एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे उदाहरण वर्णित हैं जो 2015-16 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा जांच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे; जहां कहीं अनिवार्य है, 2015-16 के पश्चात् की अवधि से सम्बंधित उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा एवं लेखा नियम 2007 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप परिचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/ केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री तथा माल कर और रॉयल्टी के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹279.28 करोड़ राजस्व से अंतर्विष्ट 27 परिच्छेद, सम्मिलित है।

I. सामान्य

वर्ष 2015-16 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹17,843.45 करोड़ की तुलना में ₹23,440.48 करोड़ थी। इसमें से 36 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹6,695.81 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,837.15 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 64 *प्रतिशत* विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹3,611.17 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹11,296.35 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया। विगत वर्ष के प्रति राजस्व प्राप्तियों में बढौतरी ₹5,597.03 करोड़ थी।

(परिच्छेद 1.1)

वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन कर, माल व यात्री कर तथा वन प्राप्तियां की 217 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 1,206 मामलों में कुल ₹585.95 करोड़ का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ राजस्व हानि, इत्यादि सामने आई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 664 मामलों में ₹182.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें 533 मामलों में ₹23.06 करोड़ की राशि की वसूली की गई उसमें 471 मामलों में ₹15.15 करोड़ विगत वर्षों से संबंधित थे तथा 62 मामलों में ₹7.91 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 के लिए थी।

(परिच्छेद 1.10)

II. बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

लेनदेन लेखापरीक्षा

बिक्री और व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर विभाग ने ₹51.40 करोड पट्टा राशि को टोल वैरियरों के पट्टादारों से वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

(परिच्छेद 2.3)

निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान नौ व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय पांच से 30 *प्रतिशत* लागू योग्य दर के स्थान पर चार से 11 *प्रतिशत* की गलत दर लागू की परिणामस्वरूप, ₹0.54 करोड़ के कर की राशि की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹0.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय योग्य था।

(परिच्छेद 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने तथा कर की छूट/रियायत दर को अनुमत करने के परिणामस्वरूप 15 मामलों में ₹47.90 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹41.83 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

एक व्यापारी ने ₹6.91 करोड़ के भुगतान योग्य प्रवेश कर के प्रति ₹3.40 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹3.51 करोड़ का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान कुल बिक्री से विविध देनदारों की राशि को निकालने के परिणामस्वरूप ₹0.83 कारेड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी उद्ग्राहय था ।

(परिच्छेद 2.7)

III. राज्य आबकारी

उनतीस (29) लाइसेंसधारियों से ₹8.59 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, ₹1.03 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 3.3)

चार सौ इक्यावन (451) बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 20,16,928 प्रूफ लीटर शराब को कम उठाने के लिए अतिरिक्त फीस ₹5.34 करोड़ का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹0.54 करोड की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

(परिच्छेद 3.4)

लाइसेंस फीस ₹76.39 करोड़ का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹99.61 लाख के ब्याज को विभाग द्वारा 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से नही मांगा गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का अल्प-उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3.5)

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक को गणना में न लेने के कारण 252 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹43.83 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

(परिच्छेद 3.6)

एक मद्यनिर्माणशाला, एक शराब की भट्टी तथा दो बोतलीकरण संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ की वर्ष 2014-15 के लिए वेतन के रूप में ₹34.77 लाख की राशि लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.7)

दो लाइसेंसधरियों से ₹28.75 लाख लाइसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क की अल्प-वसूली की गई। परिणामस्वरूप उस सीमा तक के राजस्व की हानि हुई। लाइसेंस फीस/फ्रैंचाइजी फीस के विलम्बित भुगतान पर ₹5.39 लाख का ब्याज भी वसूली योग्य था।

(परिच्छेद 3.8)

आबकारी एवं कराधान विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क उदग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹0.55 करोड़ के राजस्व का परित्याग हुआ ।

(परिच्छेद 3.10)

IV. स्टाम्प शुल्क

राज्य सरकार उपभोक्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि को पट्टे पर देते समय सांविधिक एवं विनियमित प्रावधानों की अनुपालना एवं लागू करवाने को सुनिश्चित करने में विफल रही परिणामस्वरूप कुल ₹101.80 करोड़ के राजस्व की अवसूली अथवा अल्प-वसूली हुई। पट्टे के आधार पर किये गए आबंटनों एवं भूमि के केन्द्रीकृत ड़ाटा का अनुरक्षण न करने के कारण पट्टों का उपयुक्त प्रबन्धन एवं अनुश्रवण करने की विभाग की क्षमता कमजोर रही। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित/नवीकृत नहीं किये गए थे,पट्टा राशि को भूमि के प्रचलित बाजारी मूल्य के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार नियत/संशोधित नहीं किया गया तथा विभाग ने सरकार के पक्ष में भूमि को पुर्नग्रहण करवाने अथवा पट्टा विलेखों को निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(परिच्छेद 4.3)

₹10.99 करोड़ के निर्मित ढ़ांचे के लिए गलत बाजारी दर को अपनाने के कारण ₹0.79 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण की फीस की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.4)

क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र के आधार पर गलत मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹0.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹27.94 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहण योग्य थी।

(परिच्छेद 4.5)

बिक्री विलेखों के 400 मामलों में स्टाम्प शुल्क की गलत दरों को लागू किये जाने के कारण ₹31.87 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.6)

प्रचलित बाजारी दरों को न अपनाने के कारण पट्टा विलेखों पर ₹10.64 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.7)

V. वाहन, माल व यात्री कर

अप्रर्याप्त प्रर्वतन के साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों का निष्कृष्ट अनुरक्षण एवं आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मोटर वाहन पंजीकरण प्राधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण सभी वाणिज्यिक वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹84.90 करोड़ के राजस्व का अनुद्ग्रहण/अल्प-उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 5.3)

विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए 11,018 वाहनों के संदर्भ में ₹4.09 करोड़ के सांकेतिक कर (टोकन टैक्स) की न तो मांग की गई और न ही इन वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 5.4)

ई-गवर्नेन्स समितियों ने प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹43.02 लाख एकत्रित किये जिसमें से ₹10.76 लाख सरकारी खाते में जमा करवाना अपेक्षित था जिसमें से मात्र ₹1.79 लाख ही जमा किये गए थे तथा ₹8.97 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे।

(परिच्छेद 5.5)

विशेष पथ कर ₹1.53 करोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम, निजी स्टेज कैरिजों तथा अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों से वसूल नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 5.6)

VI. वन प्राप्तियां

विभाग के विभिन्न डिपुओं में निपटान के लिए पड़ी 539.2254 घनमीटर आयतन की इमारती लकड़ी के गैर-निपटान के परिणामस्वरूप ₹33.70 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹2.79 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 6.3)

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा रॉयल्टी के लिए गलत दरों को लागू करने के कारण ₹8.30 करोड़ की रॉयल्टी की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.4)

विभाग ने परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 536 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 257.434 घनमीटर था, की लागत ₹32.50 लाख को प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल नहीं किया था।

(परिच्छेद 6.5)

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को दोहनार्थ सौंपे गए इमारती लकड़ी के 36 लॉट्स की पट्टावधि को ₹17.20 लाख की विस्तार फीस की मांग किये बिना बढ़ाया गया।

(परिच्छेद 6.6)

अध्याय -I
सामान्य

अध्याय-I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	**राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व**					
	कर राजस्व	4,107.92	4,626.17	5,120.91	5,940.16	6,695.81
	कर-भिन्न राजस्व	1,915.20	1,376.88	1,784.53	2,081.45	1,837.15
	योग	**6,023.12**	**6,003.05**	**6,905.44**	**8,021.61**	**8,532.96**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	1,998.37	2,282.02	2,491.53	2,644.17	3,611.17[1]
	सहायता अनुदान	6,521.37	7,313.07	6,314.11	7,177.67	11,296.35
	योग	**8,519.74**	**9,595.09**	**8,805.64**	**9,821.84**	**14,907.52**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)**	**14,542.86**	**15,598.14**	**15,711.08**	**17,843.45**	**23,440.48**
4.	**1 से 3 की प्रतिशतता**	**41**	**38**	**44**	**45**	**36**

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹8,532.96 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 36 *प्रतिशत* था। वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्तियों का शेष 64 *प्रतिशत* भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था।

1.1.2 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का ब्यौरा **तालिका 1.2** में दिया गया है:

[1] विवरण के लिए कृपया वर्ष 2015-16 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में विवरणी संख्या-14-'लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का सविस्तृत विवरण' देखें। कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य प्राप्ति शीर्ष-0020-निगम कर, 0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, 0028- आय और व्यय पर अन्य कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय आबकारी शुल्क तथा 0044-सेवा कर तथा 0045- अन्य कर एवं सेवाओं तथा उपयोगी वस्तुओं पर कर उप शीर्ष-901-क-कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित राज्य को समनुदेशित निवल आगमों के अंश के अंतर्गत आंकड़े जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

तालिका 1.2: जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015-16 में वृद्धि (+) अथवा (-) कमी की प्रतिशतता	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक	2014-15 के प्रति वास्तविक
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर	2,444.27	2,476.78	3,161.57	2,728.22	3,232.90	3,141.10	3195.62	3660.57	3,937.01	3,992.99	1	9
2.	राज्य आबकारी	709.74	707.36	800.14	809.87	949.46	951.96	940.74	1,044.14	1,137.73	1,131.22	(-) 0.57	8
3.	मोटर वाहन कर	173.08	176.03	215.39	196.13	246.88	207.81	214.14	220.10	227.15	317.05	149	44
4.	स्टाम्प शुल्क	142.76	155.09	159.05	172.61	201.22	187.50	209.11	190.58	215.40	205.52	(-) 05	08
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	190.00	185.47	217.03	262.63	248.77	191.36	262.01	332.82	308.45	551.06	79	66
6.	भू-राजस्व	1.90	17.86	4.01	23.60	4.00	9.98	15.12	16.88	15.66	7.43	(-) 53	(-) 56
7.	अन्य	378.08	389.33	500.23	433.11	489.76	431.20	386.56	475.07	499.39	490.54[2]	(-) 2	3
योग		**4,039.83**	**4,107.92**	**5,057.42**	**4,626.17**	**5,372.99**	**5,120.91**	**5,223.30**	**5,940.16**	**6,340.79**	**6,695.81**	**6**	**13**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया कर राजस्व बढ़ती प्रवृति को दर्शाता है तथा यह वर्ष 2011-12 के ₹4,107.92 करोड़ से बढकर 2015-16 में ₹6,695.81 करोड़ हो गया। सम्बंधित विभागों ने भिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: बेहतर कर प्रशासन, पैट्रोल एवं डीजल पर कर दरों में बढ़ौतरी के कारण वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त, माल के मूल्य सूचकांक एवं समस्त औद्योगिक आगतों पर प्रवेश कर की दरों में बढ़ौतरी के कारण वृद्धि हुई ।

राज्य आबकारी: प्रति प्रूफ लीटर देशी तथा भारतीय निर्मित विदेशी शराब की लाइसेंस फीस तथा आबकारी शुल्क की दरों में बढ़ौतरी तथा वार्षिक लाइसेंस फीस/समस्त नियत की गई फीस वाले लाइसेंसधारियो की फीस के नवीकरण के कारण वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त बार-लाइसेंसधारियों, क्लबों तथा सशस्त्र सेनाओं को की जाने वाली आपूर्ति पर निर्धारित फीस में वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार के शराब के आबकारी शुल्क में वृद्धि के कारण भी थी।

मोटर वाहन कर: वृद्धि का कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम से लम्बित बकाया का भुगतान करने, अधिक वाहनों का पंजीकरण तथा अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के अंतर्गत अधिक प्राप्तियाँ थी।

विद्युत पर कर व शुल्क: वृद्धि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा विगत वर्षों के विद्युत शुल्क की बकाया राशि को वर्ष 2015-16 के दौरान जमा करवाने के कारण थी।

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्योरा **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

[2] कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य राजस्व शीर्ष - "0042-माल एवं यात्री कर": ₹115.28 करोड तथा "0045- अन्य कर एवं सेवाओं तथा उपयोगी वस्तुओं पर कर": ₹375.26 करोड के अंतर्गत राशियां ।

तालिका 1.3: जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015-16 में वृद्धि (+) अथवा (-) कमी की प्रतिशतता	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक	वास्तविक के प्रति वास्तविक
1.	विद्युत	1,400.00	1,145.70	1,243.00	637.15	1,470.25	696.29	605.00	1,121.51	650.00	923.68	42	(-) 18
2.	ब्याज प्राप्तियां	48.41	115.09	125.56	69.90	176.44	118.61	69.96	100.93	70.93	93.84	32	(-) 7
3	***अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग***	110.50	120.12	137.94	147.90	151.10	114.08	140.00	161.52	140.00	155.08	11	(-) 4
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	84.78	106.54	75.31	63.90	86.45	357.83	73.16	115.78	73.16	34.47	(-) 53	(-) 70
5.	लोक निर्माण कार्य	30.14	41.63	38.89	39.72	42.59	34.75	43.44	34.13	45.97	43.00	(-) 6	26
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	17.92	26.23	33.39	45.71	35.09	25.95	35.79	35.57	36.74	32.81	(-) 11	(-) 8
7.	पुलिस	18.42	15.39	21.03	20.63	29.57	34.65	38.16	39.83	47.78	48.53	2	22
8.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6.90	8.66	7.13	11.21	8.59	5.04	11.86	3.35	8.67	5.72	(-) 34	71
9.	सहकारिता	3.23	2.30	3.46	3.24	4.48	15.30	3.66	8.67	2.90	14.77	409	70
10.	विविध सामान्य सेवाएं	0.82	40.01	1.87	8.94	1.99	5.65	2.12	3.41	2.18	19.37	788	468
11.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.46	0.36	0.81	0.33	0.81	0.37	0.81	0.17	0.89	0.21	(-) 76	24
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	272.92	293.17	314.21	328.25	385.18	376.01	364.83	456.58	427.96	465.67[3]	9	2
योग		**1,994.50**	**1,915.20**	**2,002.60**	**1,376.88**	**2,392.64**	**1,784.53**	**1,388.79**	**2,081.45**	**1,507.18**	**1,837.15**	**22**	**(-) 12**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया कर-भिन्न राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में (-)12 *प्रतिशत* कम था यह वर्ष 2011-12 में ₹1,915.20 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹1,837.15 करोड़ रह गया। संबंधित विभागों ने विभिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

वानिकी एवं वन्य जीवन: कमी हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड तथा अन्य उपभोक्ताओं/संस्थानों से लकडी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री से कम प्राप्तियाँ मिलने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, कमी अन्य विभागों/संगठनों को लकडी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री तथा

[3] अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य कर-भिन्न राजस्व शीर्ष -"0050- लाभांश एवं लाभ": ₹111.94 करोड़, "0051- लोक सेवा आयोग": ₹7.03 करोड़, "0056- जेल ": ₹0.27 करोड़, "0057- आपूर्ति एवं निष्पादन": ₹0.04 करोड़,"0058-मुद्रण एवं लेखन सामग्री": ₹8.32 करोड़, "0071-पैंशन तथा अन्य के अंतर्गत अंशदान एवं वसूलियां": ₹5.71 करोड़, "0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति ": ₹206.37 करोड़, "0211- परिवार कल्याण": ₹0.02 करोड़, "0215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता": ₹41.80 करोड़, "0216-आवास": ₹3.57 करोड़, "0217-शहरी विकास": ₹6.80 करोड़, "0220-सूचना एवं प्रचार": ₹1.25 करोड़, "0230-श्रम एवं रोजगार": ₹7.32 करोड़, "0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण": ₹6.40 करोड़, "0250- अन्य सामाजिक सेवाएं": ₹0.09 करोड़, "0401-कृषि कर्म": ₹14.21 करोड़, "0403-पशु कर्म": ₹0.94 करोड़, "0405-मतस्य पालन": ₹3.98 करोड़, "0407-पौधारोपण": ₹0.00 करोड़, "0408-अनाज भंडार एवं गोदाम": ₹0.53 करोड़, "0435-अन्य कृषि कार्यक्रम": ₹1.12 करोड़, "0506-भूमि सुधार": ₹0.27 करोड़, "0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ": ₹3.78 करोड़, "0575-अन्य सामाजिक क्षेत्रीय कार्यक्रम": ₹0.33 करोड़, "0702- लघु सिंचाई": ₹0.94 करोड़, "0851- ग्राम एवं लघु उद्योग": ₹11.03 करोड़, "0852-उद्योग": ₹4.65 करोड, "1054-सडक एवं पुल": ₹10.57 करोड़, "1055- सडक परिवहन": ₹0.38 करोड़, "1425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान": ₹0.00 करोड़, "1452- पर्यटन": ₹0.90 करोड़, "1456-नागरिक आपूर्ति": ₹0.07 करोड़ तथा "1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं": ₹5.04 करोड़।

अन्य विविध स्त्रोतों से कम प्राप्तियाँ मिलने के कारण थी ।

पुलिस: वृद्धि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, रेलवे एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा पुलिस गार्डों की सप्लाई करने हेतु बकाया का भुगतान तथा लम्बित वसूलियों के भुगतान करने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस फीस तथा जिला प्राधिकरणों द्वारा जिला शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने के लिए जारी सड़क परमिटों से प्राप्तियों के कारण थी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: वृद्धि निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करना तथा निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियामक संस्थान के द्वारा दिसम्बर 2015 से राजस्व प्राप्तियों को सरकारी राजकोष में जमा करना, औषधि निर्माण इत्यादि से प्राप्तियों की वृद्धि के कारण थी।

सहकारिता: वृद्धि का कारण अंकेक्षण शुल्क निर्धारण के नियमों में संशोधन एवं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार को प्रदेश में चल रही तीन एकीकृत विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन व हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विपणन एवं उपभोक्ता संघ 'सी' को विपणन गतिविधियों के संचालन हेतु अनुदान की प्रतिपूर्ति था ।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विविधता के लिए कारण सूचित नहीं किए थे (नवम्बर 2016)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में 31 मार्च 2016 को राजस्व के बकाया की राशि ₹3,421.16 करोड़ थी जिसमें से ₹226.55 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी जैसा कि नीचे **तालिका 1.4** में ब्योरा दिया गया है:

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2016 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,687.78	173.78	बकाया वर्ष 1968-69 से संचित हैं। ₹2,345.76 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹6.72 करोड़ बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे, शेष ₹18.86 करोड़ सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने थे, ₹38.63 करोड़ की राशि की वसूलियों को उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था तथा ₹277.81 करोड़ व्यापारियों से वसूल किए जाने थे।
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	254.79	0.0	कुल बकाया में से जलापूर्ति हेतु ₹246.36 करोड़ नगर निगम/ समितियों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों, ₹6.49 करोड़ तथा ₹0.43 करोड़ क्रमशः गैर-सरकारी निकायों व सरकारी विभागों, ₹0.05 करोड़ आवास तथा ₹1.46 करोड़ लघु सिंचाई से सम्बंधित थे।
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	355.75	0.0	विद्युत शुल्क हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से बकाया ।

4.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	49.64	8.97	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित थे। ₹29.86 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹0.89 करोड़ को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹6.93 करोड़ उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए एवं ₹11.96 करोड़ विभिन्न होटल मालिकों से वसूल किए जाने थे।
5.	राज्य आबकारी	46.78	32.16	बकाया वर्ष 1972-73 से संचित थे। ₹18.26 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹3.96 करोड़ उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए थे, ₹0.45 करोड़ को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹24.11 करोड़ का बकाया बोली देने वालों/ लाइसेंसधारियों से वसूल किया जाना था।
6.	माल एवं यात्री कर	17.81	9.02	₹8.56 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹3.11 करोड़ बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे, शेष ₹1.36 करोड़ सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने थे तथा ₹4.78 करोड़ विभिन्न वाहन मालिकों से वसूल किए जाने थे।
7.	ग्राम तथा लघु उद्योग	7.27	1.73	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित थे। बकाया प्लॉट्स (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बंधित हैं।
8.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.86	0.58	बकाया वर्ष 1970-71 से संचित थे। बकाया रॉयल्टी/ ड्रिलिंग प्रभारों आदि की वसूली के संदर्भ में खनन कार्यालयों और आहरण तथा संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) भू-गर्भ स्कंध उद्योग निदेशालय से सम्बंधित हैं।
9.	उद्योग	0.23	0.12	बकाया वर्ष 1980-81 से संचित थे। बकाया रेंट शेड्स (औद्योगिक परिसंपत्ति), सरकारी आवास के किराये/ मलबरी पौधों आदि की बिक्री से प्राप्ति से सम्बंधित हैं।
10.	लोक निर्माण	0.25	0.19	बकाया वर्ष 1963-64 तथा इससे आगे से संचित हुए हैं।
योग		**3,421.16**	**226.55**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 निर्धारणों में बकाया

बिक्री कर, मोटर स्प्रिट कर, विलास कर तथा संविदा कार्यों संविदाओं पर करों के संदर्भ में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामलों, निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	आदि शेष	2015-16 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2015-16 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (स्तंभ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,50,998	48,021	1,99,019	51,207	1,47,812	26
विलास कर	3,482	2,017	5,499	2,086	3,413	38
संविदा कार्यों पर कर	2,047	370	2,417	267	2150	11
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	33	18	51	24	27	47

स्रोत: विभागीय आंकड़े

निर्धारण मामलों का निपटान अत्यंत धीमा था तथा यह 11 तथा 47 *प्रतिशत* के मध्य था।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गये मामले तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6: कर अपवंचन

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 तक लम्बित मामले	2015-16 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2016 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	84	9,188	9,272	9,189	28.81	83
2.	विलास कर	43	3,889	3,932	3,899	2.71	33
3.	संविदा कार्यों पर कर	0	10,384	10,384	10,368	4.67	16
4.	मोटर स्प्रिट कर	22	5,426	5,448	5,439	2.32	9
योग		**149**	**28,887**	**29,036**	**28,895**	**38.51**	**141**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

कुल 29,036 मामलों में से विभाग ने 28,895 मामलों में निर्धारण पूर्ण किया तथा ₹38.51 करोड़ की अतिरिक्त मांग की थी ।

1.5 प्रत्यर्पण मामले

विभाग द्वारा प्रतिवेदित वर्ष 2015-16 के प्रारम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण सम्बंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर लम्बित मामलों का विवरण नीचें **तालिका 1.7** में दिया गया है:

तालिका 1.7: प्रत्यर्पण मामलों के लम्बन का विवरण

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	66	25.29	10	0.16
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	181	35.48	62	2.29
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	198	41.12	54	2.12
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	49	19.65	18	0.33

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेनदेनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई अनियमिताओं, जिनका मौके पर निपटान नहीं हो पाता, से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुसरण किया जाता है जो निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किये जाते हैं तथा इनकी प्रतियां अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं, ताकि तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट प्रेक्षणों पर शीघ्र अनुपालना करना, दोषों तथा चूकों को दूर करना और निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के

भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से की गई अनुपालना से अवगत करवाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2015 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में से जून 2016 के अंत तक 2,549 निरीक्षण प्रतिवेदन बकाया थे जैसा पिछले दो वर्षों के तदरूपी आंकडों सहित नीचे **तालिका 1.8** में उल्लिखित है:

तालिका 1.8: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,952	2,509	2,549
बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	8,009	7,150	7,512
अंतर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़)	1,322.75	1,099.13	1,512.30

30 जून 2016 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशि का विभागवार विवरण नीचे **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त मौद्रिक मूल्य (₹करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	123	991	329.30
		यात्री व माल कर	178	334	261.45
		वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	105	129	7.30
		मनोरंजन तथा विलास कर आदि	48	84	0.89
		राज्य आबकारी शुल्क	50	188	55.43
2.	राजस्व	भू-राजस्व	236	475	197.97
3.	परिवहन	मोटर वाहन कर	673	2,613	296.84
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	592	1,229	60.58
5.	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियां	544	1,469	302.54
योग			**2,549**	**7,512**	**1,512.30**

2015-16 के दौरान 217 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 106 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में लेखापरीक्षा के चार सप्ताह के अनुबद्ध समय के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह अधिक लम्बन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनिमितताओं को दूर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्यान्वित कार्रवाई का अभाव कमजोर जबावदेही एवं राजस्व की अपरिहार्य हानि के जोखिम को बढ़ावा देती है। लेखापरीक्षा के परिच्छेदो के लम्बित मामलों की संख्या का निरतंर बढ़ना सरकार का मामलो का अनुश्रवण करने तथा उनकी अनुपालना की संवीक्षा एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के समायोजन हेतु प्रभावशाली तंत्र को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान आकर्षित करती है ।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के अनुश्रवण तथा निपटान की प्रगति में तीव्रता

लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। वर्ष 2015-16 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	निपटाए गए परिच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	राजस्व विभाग	1	36	0.53
2.	राज्य आबकारी विभाग	1	189	0.90
3.	परिवहन विभाग	1	27	1.27
4.	वन विभाग	1	50	7.62
योग		**4**	**302**	**10.32**

राजस्व, राज्य आबकारी, परिवहन एवं वन विभागों के संदर्भ में 2015-16 के दौरान चार लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई। परिणामस्वरूप ₹10.32 करोड़ से अंतर्गस्त 302 लम्बित परिच्छेदों का समायोजन किया गया । यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को सभी विभागों में एक नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठको के आयोजन को सुनिश्चित करना चाहिए ।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रेषित करें। विभागों/ सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

अप्रैल तथा अगस्त 2016 के मध्य सताईस प्रारूप परिच्छेद सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों ने छब्बीस प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर नहीं भेजे थे तथा उन्हें सरकार की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तथापि विभाग के उत्तर जहां भी प्राप्त हुए थे, प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां विलंबित थी। 31 मार्च 2011, 2012, 2013 तथा 2014 को समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 132 परिच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 6 अप्रैल 2012 तथा 10 अप्रैल 2015 के मध्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बंध में सम्बद्ध विभागों से इन परिच्छेदों पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां क्रमशः 13, सात, 11 तथा सात मास के औसत विलम्ब से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए राजस्व विभाग से तीन परिच्छेदों के संबंध में की गई कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई थी (नवम्बर 2016)।

लोक लेखा समिति ने 2006-07 से 2012-13 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित 73 चयनित परिच्छेदों पर चर्चा की। तथापि नीचे **तालिका 1.11** में उल्लिखित विभागों से संबंधित चर्चा किये गए परिच्छेदों पर लोक लेखा समिति की सिफारिशें अभी भी प्रतीक्षित थी:

तालिका 1.11: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित चयनित परिच्छेदों पर लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा

वर्ष	विभागों का नाम	सिफारिशें प्रतीक्षित
2006-07	राजस्व, परिवहन एव, सहकारिता	15
2007-08	आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन	29
2008-09	आबकारी एवं कराधान	16
2009-10	आबकारी एवं कराधान	06
2011-12 तथा 2012-13	वन	07
योग		**73**

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभागों/ सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागार किए गए मामलों को निपटाने के लिए अपनाई गई पद्धति का विश्लेषण करने हेतु एक विभाग (0041-मोटर वाहन कर के मुख्य प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत परिवहन विभाग) के विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया और उसको इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती परिच्छेद 1.7.1 से 1.7.3 मुख्य राजस्व शीर्ष '0041- मोटर वाहन कर' के अंतर्गत **मोटर वाहन** पर कर के सम्बंध में परिवहन विभाग के निष्पादन और 2015-16 तक विगत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा में अधिसूचित मामलों तथा 2006-07 से 2014-15 वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा करते है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा 31 मार्च 2016 को उनकी सारांशित स्थिति को नीचे **तालिका 1.12** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.12: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य
2006-07	532	1,568	26.51	55	269	5.97	31	194	3.26	556	1,643	29.22
2007-08	556	1,643	29.22	54	326	9.45	22	163	10.24	588	1,806	28.43
2008-09	588	1,806	28.43	52	299	4.52	21	195	4.42	619	1,910	28.53
2009-10	619	1,910	28.53	62	203	66.51	54	140	54.47	627	1,973	40.57
2010-11	627	1,973	40.57	55	214	30.97	15	101	23.55	667	2,086	47.99
2011-12	667	2,086	47.99	53	252	23.32	29	131	8.06	691	2,207	63.25
2012-13	691	2,207	63.25	39	206	32.88	51	164	26.52	679	2,249	69.61
2013-14	679	2,249	69.61	39	208	123.06	74	180	10.68	644	2,277	181.99
2014-15	644	2,277	181.99	36	176	57.65	50	62	1.11	630	2,391	238.53
2015-16	630	2,391	238.53	44	227	59.81	01	05	1.50	673	2,613	296.84

2006-07 के प्रारम्भ में 1,568 परिच्छेदों सहित 532 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2015-16 के अंत तक 2,613 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 673 हो गई। यह इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बकाया परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति **तालिका 1.13** में दर्शायी गई है:

तालिका 1.13: स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किए गए परिच्छेदों की संख्या	स्वीकार किए गए परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2016 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2005-06	06	21.20	05	9.55	0.01	1.11
2006-07	05	2.89	05	2.89	0	0.13
2007-08	07	4.79	07	4.77	0.02	0.61
2008-09	08	5.67	06	4.93	0.40	2.83
2009-10	04	60.13	03	35.99	3.42	30.62
2010-11	07	19.85	05	18.09	0.22	15.94
2011-12	05	16.15	05	16.15	0.26	13.69
2012-13	04	16.73	04	16.70	0.12	14.51
2013-14	03	10.75	03	3.77	0.55	0.94
2014-15	07	40.81	05	20.14	2.30	3.70
योग	**56**	**198.97**	**48**	**132.98**	**7.30**	**84.08**

विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकार्य मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी।

1.7.3 विभागों/ सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार द्वारा संचालित की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं संबंधित विभाग/ सरकार को उनकी सूचना हेतु, उनके उत्तर उपलब्ध करवाए जाने के अनुरोध के साथ, अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं पर अंतिम सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है और निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रूप देते समय विभाग/ सरकार के विचार सम्मिलित किये जाते हैं। प्राप्ति शीर्ष '0041- मोटर वाहन कर' के अंतर्गत ***परिवहन विभाग*** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई और वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई थी जैसा कि विवरण **तालिका 1.14** में दिया गया है:

तालिका 1.14: विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक	निष्पादन लेखापरीक्षा में दी गई सिफारिशों की संख्या	टिप्पणियां
1.	2009-10	मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण	सात सिफारिशें	समस्त सिफारिशों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था तथा विभाग ने बताया था कि उनके कार्यान्वयन हेतु प्रयास किये जा रहे थे।
2.	2010-11	परिवहन विभाग में कम्प्यूट्रीकरण	चार सिफारिशें	

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अंतर्गत एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष होता है। इस कक्ष को अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ समय-समय पर विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित कार्य योजना तथा परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना-जांच करनी थी।

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु मात्र 31 इकाईयों की योजना की गई थी, लेखापरीक्षा कक्ष ने उसमें से मात्र 13 इकाईयों (42 *प्रतिशत*) की लेखापरीक्षा की जैसा कि निम्नांकित **तालिका 1.15** में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.15: आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाई	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	13	06	07
परिवहन	01-राज्य परिवहन प्राधिकरण 56-पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी 10-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी 03- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता)	18	07	11
योग	**83**	**31**	**13**	**18**

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम इकाईयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के गंभीर मामले सम्मिलित होते हैं जो कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा व्याप्ति से व्युत्पन्न होते है।

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा योग्य 420 इकाईयां थीं, जिनमें से 217 इकाईयां[4] निर्धारित थीं तथा इनकी लेखापरीक्षा की गई थी।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता को जांचने के लिए 'सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली' तथा 'आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली' पर दो विषयक लेखापरीक्षा भी की गई।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल व यात्री कर

[4] इनमें 25 इकाईयां विलास कर, मनोरंजन कर एवं एम0 पी0 बैरियरों से संबंधित थी ।

तथा वन प्राप्तियां की 217 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 1206 मामलों में कुल ₹585.95 करोड़ का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ राजस्व हानि, इत्यादि उद्घाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 664 मामलों में ₹182.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 533 मामलों में ₹23.06 करोड़ की राशि की वसूली की गई उसमें 471 मामलों में ₹15.15 करोड़ विगत वर्षों से संबंधित थे तथा 62 मामलों में ₹7.91 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 के लिए थी।

1.11 इस प्रतिवेदन की आवृत्ति

इस प्रतिवेदन में ₹279.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 27 परिच्छेद, सम्मिलित हैं। विभागों/ सरकार ने ₹106.43 करोड़ से अंतर्निहित 21 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से 18 मामलों में ₹8.58 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।

अध्याय -II
बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय–II
बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

सरकारी स्तर पर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर कानून तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का संचालन प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसको दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छः उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। उनको सम्बंधित कर कानूनों तथा नियमों का संचालन करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015–16 के दौरान मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से सम्बंधित 15 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 381 मामलों में ₹140.82 करोड़ से अंतर्विष्ट कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई जो कि निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसाकि **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है:

तालिका–2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर का अवनिर्धारण	20	2.23
2.	दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों 'सी' तथा 'एफ' की स्वीकृति	36	1.79
3.	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	34	8.45
4.	निवेश कर क्रेडिट का अनियमित/गलत/अधिक अनुमोदन	141	8.26
5.	कर की दर का गलत अनुप्रयोग	27	1.01
6.	अन्य अनियमितताएं	123	119.08
	योग	**381**	**140.82**

वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग ने ₹82.13 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के 123 मामलों को स्वीकार किया, जिसमें से 101 मामलों में ₹13.19 करोड़ की राशि वसूल की गई थी उसमें 93 मामलों में ₹8.65 करोड़ विगत वर्षों से तथा आठ मामलों में ₹4.54 करोड़ की राशि वर्ष 2015–16 से संबंधित थी।

₹56.76 करोड़ से अंतर्विष्ट कुछ आवश्यक मामलों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

2.3 पट्टादारों से पट्टा राशि की अवसूली

विभाग ने ₹51.40 करोड की पट्टा राशि को टोल बैरियरों के पट्टादारों से वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की ।

हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 में प्रावधान है कि अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक यांत्रिक वाहन पर किसी भी सड़क की आधारिक संरचना के उपयोग के लिए प्रत्येक यांत्रिक वाहन के प्रति विनिर्दिष्ट दरों पर टोल का उद्ग्रहण तथा भुगतान किया जाएगा । अधिनियम की धारा 3-ए में प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को निलामी द्वारा या निविदा द्वारा या दोनों के समिश्रण अथवा किसी अन्य विधि से किसी वित्तीय वर्ष के लिए या उसके किसी भाग, पर ऐसे निबंधन एवं शर्तो जिन्हें आयुक्त राज्य सरकार के अनुमोदन के अनुसार निश्चित करेगा, पट्टे पर टोल एकत्रित करने के अधिकार दे सकती है।

पट्टा करार की उपधारा 2.3.13 के अंतर्गत किसी टोल इकाई की उच्चतम बोली लगाने वाला, बोली की 20 *प्रतिशत* राशि के बराबर की राशि को जमानत के रूप में निम्नवत् जमा करेगा:

1. बोली राशि के रूप में 5 *प्रतिशत* अथवा पीठासीन अधिकारी द्वारा बोली के समय पर राशि को नगदी भुगतान के रूप में जमा करवाने हेतु निर्देशित राशि जो भी बोली की समाप्ति पर उच्चतम हो;

2. नीलामी के 10 दिनों के भीतर या 31 मार्च को, जो भी पहले हो बोली की राशि का 10 *प्रतिशत* तथा;

3. सम्बन्धित जिला के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के निर्देशानुसार बोली की राशि/ वार्षिक पट्टा राशि का पांच *प्रतिशत* 10 दिनों के भीतर या 31 मार्च को, जो भी पहले हो, राजस्व जमा के रूप में या शर्त रहित बैंक प्रत्याभूति या सावधि जमा के रूप में।

उपधारा 2.3.17 के अंतर्गत शेष राशि अर्थात पट्टा राशि की 85 *प्रतिशत* यदि पट्टे की अवधि एक वित्तीय वर्ष के लिए हो, पट्टेदार द्वारा 10 समान किस्तों में अथवा किस्तों की ऐसी संख्या जिसे सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त नियत कर सकता है, भुगतान किया जाएगा । उपधारा 2.3.19 के अनुसार देय तिथि तक किसी किस्त या उसके किसी भाग को भुगतान करने में विफलता की दशा में पट्टेदार एक मास की अवधि तक भुगतान के बिलम्ब पर भुगतान न की गई राशि पर 15 *प्रतिशत* की वार्षिक दर से तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक 20 *प्रतिशत* की वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। यदि पट्टेदार किस्त या किस्तों और ब्याज की राशि को जमा करने में विफल रहता है तो क्षेत्रीय प्रभारी अतिरिक्त/उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त निबंधन एवं शर्तों के प्रावधानानुसार शास्ति लगा कर, निलम्बित अथवा पट्टे को निरस्त करके तब तक की बिलम्ब की अवधि का समाधान कर लेगा तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ब्याज, शास्ति आदि सहित पट्टे की देय राशि की वसूली को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा ।

छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत 55 टोल बैरियरों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग को ₹51.40 करोड़ की पट्टाराशि अभी वसूल की जानी है जैसा कि **तालिका-2.2** में विवरण दिया गया है:

तालिका-2.2: पट्टेदारो से पट्टा राशि की अवसूली का जिला-वार विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सोलन	2009-10	2.34
		2011-12 से 2012-13	1.90
		2013-14 से 2014-15	9.10
2.	बद्दी	2011-12 से 2012-13	5.25
		2013-14 से 2014-15	12.59
3.	ऊना	2002-03 से 2010-2011	1.48
		2012-13	0.92
4.	बिलासपुर	2012-13 से 2015-16	7.16
5.	नाहन	2011-12 से 2014-15	9.94
6.	नुरपूर	2010-11 से 2012-13	0.72
योग			**₹51.40**

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग अधिनियम में निर्धारित समय-अनुसूची के अनुसार न केवल पट्टा राशि की वसूली करने में असमर्थ रहा अपितु विभिन्न लेखाओं के संदर्भ में जैसे कि ब्याज, शास्ति, अन्य टोल बैरियरों के संदर्भ में वसूलने योग्य राशि, राज्य आबकारी शुल्क इत्यादि के रूप में वसूलने योग्य राशि जिनको एक साथ इक्ट्ठा किया गया था, की स्थिति का अनुरक्षण भी नहीं किया। फलस्वरूप, विभिन्न लेखाओं के सन्दर्भ में विभिन्न पट्टादारों को आबंटित प्रत्येक टोल बैरियरों/टोल बैरियरों के समूह से वसूलने योग्य सही राशि की स्थिति सुनिश्चित योग्य नहीं थी। यद्यपि वसूल की जाने वाली राशि को बहुत पहले ही भू-राजस्व के बकाया के रूप में अनुमोदित कर दिया गया था तथापि वसूली हेतु विभाग अथवा जिला स्तर पर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे जबकि वही पट्टेदार जिन्हें अन्य टोल बैरियरों पर पट्टा अधिकार प्राप्त/वचनवद्ध थे, समय-समय पर विभाग के साथ अन्य गतिविधियों में लगे हुए थे। इसके फलस्वरूप पट्टे की बकाया राशि बढ़ कर ₹51.40 करोड़ हो गई थी।

इंगति किये जाने पर विभाग ने (नवम्बर 2016) बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन द्वारा लाइसेंस फीस की बकाया राशि के रूप में ₹4.42 करोड़ को वसूल कर लिया गया था तथा शेष राशि को भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूल किये जाने के प्रयास किये जा रहे थे।

सरकार को मामला अगस्त 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.4 कर की गलत दर लागू करना

निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान नौ व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय पांच से 30 प्रतिशत लागूयोग्य दर के स्थान पर चार से 11 प्रतिशत की गलत दर लागू की। परिणामस्वरूप, ₹0.54 करोड़ के कर की राशि की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹0.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय योग्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानानुसार, धारा 6 के अंतर्गत अनुसूची-'ए' के अनुसार एक व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों पर कर उद्ग्राहय है। आगे, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक *प्रतिशत* की दर से तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ *प्रतिशत* की दर पर ब्याज़ की अदायगी करने का दायी हो जाता है।

जुलाई 2015 तथा जून 2016 के मध्य पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[1] के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नौ व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान ₹6.54 करोड़ की राशि की अंत: एवं अंतर्राज्यीय बिक्रियां की थी जोकि विभिन्न दरों[2] पर कर योग्य थी । निर्धारण प्राधिकारियों ने इन निर्धारणों को अप्रैल 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य अंतिम रूप देते समय लागू योग्य उच्चतम दरों के स्थान पर चार से 11 *प्रतिशत* की निम्न दरों का अनुद्ग्रहण किया। गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹0.54 करोड़[3] के कर की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹41.17 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय योग्य था।

विभाग ने अक्तूबर 2016 में सूचित किया कि दो मामलों मे ₹7.45 लाख की अतिरिक्त मांग वसूल कर ली गई थी तथा शेष मामले प्रक्रियाधीन थे।

सरकार को मामला जुलाई 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.5 अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने तथा कर की छूट/रियायत दर को अनुमत करने के परिणामस्वरूप 15 मामलों में ₹47.90 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹41.83 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

प्रपत्र '**सी**', क्रेता व्यापारी द्वारा 'मूल' एवं 'डुप्लीकेट' में चिन्हित की गई दो प्रतियों में जारी किया जाता है। 'मूल' चिन्हित की गई प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने विवरण के साथ संलग्न की जाती है तथा 'डुप्लीकेट' प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने अभिलेख में रख ली जाती है। केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957 की धारा 12(7) के अनुसार 'मूल' प्रति को कर की दर में छूट प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए ।

छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की (जुलाई 2015 तथा जून 2016 के मध्य) संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2006-07 से 2012-13 की कर अवधियों के लिए अप्रैल 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य 15 व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने घोषणा प्रपत्रों-***'सी'*** पर ₹10.82 करोड़ के मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्री कर की रियायती दर की अनियमित रूप से अनुमति दी जो या तो डुप्लीकेट/त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों की प्रतियां थी जैसा कि **परिशिष्ट**-I में ब्योरा दिया गया है। इन प्रपत्रों को व्यापारियों के कर निर्धारण के समय अस्वीकार किया जाना अपेक्षित था। अत: अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों पर छूट अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹47.90 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹41.83 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

विभाग ने अक्तूबर 2016 में सूचित किया कि दो मामलों मे ₹5.55 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी जिसमें से ₹4.95 लाख वसूल कर लिये गए थे तथा शेष मामलें प्रक्रियाधीन थे ।

---

[1] सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त- बद्दी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना ।

[2] कर की विभिन्न दरें-5, 12.50, 13.75, 16, 18 एवं *30 प्रतिशत* (चूना पत्थर पर 20-06-2015 तक कर की 30 प्रतिशत की दर लागू थी)।

[3] सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त- बद्दी (एक व्यापारी: ₹18.89 लाख), नाहन: (तीन व्यापारी: ₹6.79 लाख), शिमला: (एक व्यापारी: ₹1.67 लाख), सोलन:(तीन व्यापारी: ₹14.87 लाख) तथा ऊना : (एक व्यापारी : ₹11.84 लाख)।

सरकार को मामला जुलाई 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.6 प्रवेश कर का भुगतान न करने तथा अन्तिम रूप न देने से राजस्व हानि

एक व्यापारी ने ₹6.91 करोड़ के भुगतान योग्य प्रवेश कर के प्रति ₹3.40 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹3.51 करोड़ का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 (1) के प्रावधानानुसार हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर एक से पांच *प्रतिशत* की दर से कर का अनुद्ग्रहण एवं संग्रहण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम, की धारा 12 के अनुसार मूल्य वर्धित कर के कुछ प्रावधानों जैसे कि रिर्टनों को प्रस्तुत करना, शास्ति का अनुद्ग्रहण, प्रमाण का दायित्व तथा ब्याज का भुगतान भी हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम, में लागू योग्य है। आगे, धारा 13 में प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार वह ब्याज एवं शास्ति सहित प्रवेश कर का निर्धारण एवं भुगतान का संग्रहण करेगें।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेखों की (मार्च 2016) में की गई संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अंतिम रूप देते समय उसका निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया। निर्धारिती ने ₹67.58 करोड़ की खरीद पर वास्तव में ₹3.40 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया । तथापि, हिमाचल प्रदेश कर प्रशासनिक प्रणाली (हिमटॉस) सॉफ्टवेयर (वैट XXVI-ए) से निकाले गए विवरण के अनुसार ₹138.24 करोड़ का कुल क्रय निकाला गया जिस पर व्यापारी ₹6.91 करोड़ के प्रवेश कर के भुगतान करने का उत्तरदायी था। इस प्रकार प्रवेश कर के लिए मामले का निर्धारण हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम के अंतर्गत न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के लिए ₹3.51 करोड़ के प्रवेश कर की अल्प वसूली हुई । इसके अतिरिक्त, कर की राशि से दोगुना राशि के बराबर शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

सरकार को मामला जुलाई 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.7 सकल बिक्री का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान कुल बिक्री से विविध देनदारों की राशि को निकालने के परिणामस्वरूप ₹0.83 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी उद्ग्राहय था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 (v) (जैड0डी0) के अनुसार 'बिक्री' से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों, क्रयों तथा बिक्रियों व क्रयों के अंशों की सकल राशि तथा भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है। इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 (I) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो उससे चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर ब्याज उद्ग्राहय होगा।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला के निर्धारण अभिलेखों की जनवरी और मार्च 2016 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 के लिए एक व्यापारी के निर्धारणों को मार्च 2015 में ₹6.65 करोड़ विविध देनदारों की राशि को घटाते हुए ₹92.36 करोड़ की सकल बिक्री पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जोकि सकल बिक्री में से घटाने के लिए अनुमत नहीं थी। इस ₹6.65 करोड़ की सकल बिक्री के अल्प निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹83.12 लाख[4] के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2016 तक कर के अल्प भुगतान पर ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

विभाग ने (अक्तूबर 2016) में सूचित किया कि इस राशि को वास्तव में व्यापारी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था तथा वहाँ केवल खरीदने का ही बचन दिया गया था। ऐसा इसलिए घटित हुआ क्योंकि कम्पनी लेखाकरण की गलत पद्धति अपना रही थी तथा अब उन्होंने लेखाकरण की इस पद्धति को अलग कर दिया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि लेखों में विविध देनदारों की बुकिंग को बिक्री के आधार पर बुक किया गया था।

सरकार को मामला अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

[4] ₹6.65 करोड़ पर 12.5 *प्रतिशत* ।

अध्याय -III
राज्य आबकारी

अध्याय- III
राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों[1] में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 22 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों की तैनाती आबकारी शुल्कों एवं सम्बन्धित करों के उद्ग्रहण / संग्रहण का अनुश्रवण तथा नियमन करने के लिए की जाती है।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015-16 में राज्य आबकारी शुल्क से सम्बन्धित 12 इकाइयों में से नौ इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ₹23.17 करोड़ से निहित 73 मामलों में आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की गैर/अल्प वसूली उद्घाटित हुई जो निम्नवत् **तालिका 3.1** के अन्तर्गत आती हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क की गैर/अल्प वसूली	04	0.27
2.	लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति इत्यादि की गैर/अल्प वसूली	36	15.69
3.	अन्य अनियमितताएं	33	7.21
योग		**73**	**23.17**

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने 58 मामलों में ₹18.66 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 54 मामलों में ₹3.76 करोड़ की राशि वसूल की गई उसमें 32 मामलों में ₹1.95 करोड़ विगत वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से तथा 22 मामलों में ₹1.81 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 से संबंधित थी।

₹16.68 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ आवश्यक मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 बिक्री केन्द्रों को न खोलने पर लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली

उनतीस (29) लाइसेंसधारियों से ₹8.59 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, ₹1.03 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 4.3 के प्रावधानानुसार, नियत किये गए शराब के न्यूनतम गांरटीड कोटे पर आधारित एक लाइसेंसधारी को वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान करना अपेक्षित

[1] दक्षिण अंचल (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा स्पिति क्षेत्र), उत्तर अंचल (चम्बा, कांगड़ा तथा ऊना) तथा केन्द्रीय अंचल (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल क्षेत्र तथा मण्डी)।

हैं। परिच्छेद 4.4 (ए) में प्रावधान है कि पूरे वर्ष हेतु प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के लिए नियत शराब के न्यूनतम गांरटीड़ कोटे पर आधारित एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित दरों पर पूर्व निर्धारित की जाएगी। लाइसेंस फीस को 12 मासिक किस्तों में विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक मास के अन्तिम दिन तक लाइसेंस फीस को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा एवं शराब निर्गम हेतु आबकारी पास प्राप्त करने से पूर्व मार्च मास की अंतिम किस्त की पूर्ण रूप से 15 मार्च तक अदायगी की जाएगी। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 4.5(ए) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस को जमा करने में विफल रहता है तो निर्धारित दरों पर ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा। परिच्छेद 4.5(सी)के अनुसार, जिले का प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी साधारणत: अनुवर्ती मास के पहले दिन या 16 मार्च जैसा भी मामला हो, बिक्री केन्द्र को सील करेगा।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[2] के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2014-15 के लिए 29 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से ₹42.91 करोड़ की वसूली योग्य लाइसेंस फीस के प्रति विभाग मात्र ₹34.32 करोड़ की राशि की ही वसूली कर सका जिसके परिणामवरूप ₹8.59 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली हुई। लाइसेंस फीस की अदा न की गई राशि पर ₹1.03 करोड़ का ब्याज भी प्रोद्भूत था जो उद्ग्रहण योग्य था ।

विभाग ने सितम्बर 2016 में बताया कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा 12 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से ₹1.75 करोड़[3] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

सरकार को मामला अगस्त 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.4 न्यूनतम गारंटीड कोटा से कम कोटा उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना

चार सौ इक्यावन (451) बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 20,16,928 प्रूफ लीटर शराब को कम उठाने के लिए अतिरिक्त फीस ₹5.34 करोड़ का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹0.54 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 4.3 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी को प्रत्येक बिक्री केंद्र के लिए निर्धारित किया गया मासिक न्यूनतम गारंटीड़ कोटा देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के लिए उठाना अपेक्षित होगा ऐसा न करने पर वह न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के आधार पर नियत की गई लाइसेंस फीस की अदायगी करने का उत्तरदायी होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए न्यूनतम गारंटीड़ कोटा पर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के

[2] बद्दी: एक बिक्री केन्द्र: ₹6.55 लाख, कुल्लू: दो बिक्री केन्द्र: ₹43.14 लाख, मण्डी: तीन बिक्री केन्द्र: ₹31.88 लाख, नाहन: दो बिक्री केन्द्र: ₹0.53 करोड़, शिमला: 10 बिक्री केन्द्र: ₹0.83 करोड़, सोलन: तीन बिक्री केन्द्र: ₹1.66 करोड़ तथा ऊना: आठ बिक्री केन्द्र : ₹4.75 करोड़ ।

[3] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त -कुल्लू:दो बिक्री केन्द्र: ₹4.00 लाख, नाहन:दो बिक्री केन्द्र: ₹35.81 लाख, शिमला: तीन बिक्री केन्द्र: ₹11.96 लाख, सोलन: चार बिक्री केन्द्र: ₹0.83 करोड़ तथा ऊना: एक बिक्री केन्द्र: ₹40.00 लाख ।

भुगतान के अतिरिक्त ₹10 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹56 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त फीस की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के 100 *प्रतिशत* से कम होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी ₹7 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹14 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शास्ति की अदायगी हेतु भी उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के 80 *प्रतिशत* बैंच-मार्क से कम होगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी तिमाही आधार पर न्यूनतम गारंटीड़ कोटे को उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त फीस के साथ-साथ शास्ति की राशि की वसूली सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा ने सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 451 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने 1,09,25,254 प्रूफ लीटर के मासिक न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के प्रति 89,08,339 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जो कि 2014-15 के दौरान 20,16,923 प्रूफ लीटर[5] (देशी शराब:12,95,242 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 7,21,681 प्रूफ लीटर) कम थी, जिसके लिए ₹5.34 करोड़ की अतिरिक्त फीस यद्यपि देय थी, किन्तु सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा नहीं मांगी गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 451 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों में से 140 लाइसेंसधारियों ने 5,58,734.162 प्रूफ लीटर शराब नहीं उठाई जोकि न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के 80 *प्रतिशत* बैंच-मार्क से भी कम थी जिसके लिए निर्धारित दरों पर ₹0.54 करोड़ की शास्ति उद्गृहित की जानी अपेक्षित थी परन्तु उसको संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा उद्गृहित/मांगा नहीं गया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिलों के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने तिमाही आधार पर प्रत्येक बिक्री केन्द्र द्वारा उठाए गए न्यूनतम गारंटीड़ कोटे की स्थिति की समीक्षा नहीं की, परिणामस्वरूप ₹5.34 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹0.54 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर विभाग ने सितम्बर 2016 में सूचित किया कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा 20 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से ₹5.34 करोड़ में से ₹3.78 लाख[6] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

---

[4] बद्दी: 26 बिक्री केन्द्र: ₹49.16 लाख, चम्बा: 72 बिक्री केन्द्र: ₹0.66 करोड़, मण्डी: 123 बिक्री केन्द्र: ₹0.55 करोड़, नाहन: 26 बिक्री केन्द्र: ₹49.98 लाख, शिमला: 86 बिक्री केन्द्र: ₹0.68 करोड़, सोलन: 53 बिक्री केन्द्र: ₹1.39 करोड़ तथा ऊना: 65 बिक्री केन्द्र: ₹1.59 करोड़। (शास्ति सहित)

[5]

शराब की प्रकृति	देशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	कुल शराब
मासिक नियत एम0जी0क्यू	58,42,982	50,82,270	1,09,25,252
उठाया गया एम0जी0क्यू	45,47,740	43,60,589	89,08,329
कम उठाया गया एम0जी0क्यू	12,95,242	7,21,681	20,16,923

[6] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.15 लाख, चम्बा: 15 बिक्री केन्द्र: ₹2.60 लाख, सिरमौर: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.24 लाख, सोलन: दो बिक्री केन्द्र: ₹0.66 लाख तथा ऊना: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.13 लाख।

3.5 लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

लाइसेंस फीस ₹76.39 करोड़ का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹99.61 लाख के ब्याज को विभाग द्वारा 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से नही मांगा गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का अल्प उद्ग्रहण हुआ ।

आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 4.4 (डी) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर निर्धारित गांरटीड कोटा उठाने में असमर्थ है, तो उसे उस मास के लिए लाइसेंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त की अदायगी उस मास के अंतिम दिन तक तथा मार्च मास की फीस के लिए पूर्ण रूप से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। परिच्छेद 4.5 (ए) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 10 *प्रतिशत* की दर से तथा उसके बाद 18 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

जुलाई 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[7] के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस फीस ₹76.39 करोड़ की राशि को अप्रैल 2014 तथा नवम्बर 2015 के मध्य दो से 406 दिनों के विलम्ब से जमा करवाया था। अतः वे लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगियों पर ₹99.61 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि, सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने उसकी मांग नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹99.61 लाख[8] ब्याज की राशि की अवसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (सितम्बर 2016) सूचित किया कि छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा ₹99.61 लाख में से ₹31.38 लाख[9] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ब्याज की शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.6 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की गैर-वसूली

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक को गणना में न लेने के कारण 252 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹43.83 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

आबकारी घोषणा 2014-15 का परिच्छेद 3.19 यह प्रावधान करता है कि एक बिक्री केन्द्र के लाइसेंस नवीकरण करने के मामले में पिछले वर्ष जो कि 2013-14 है, के न्यूनतम गारंटीड कोटा के 3 *प्रतिशत* तक के शराब के बिक्री न हुए स्टॉक को आगामी वर्ष 2014-15 के लिए उस बिक्री केन्द्र के न्यूनतम गारंटीड कोटा की गणना में नहीं लिया जाएगा तथा लाइसेंसधारी को वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 *प्रतिशत* की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर इस बिक्री न हुए स्टॉक को लेना होगा ।

---

[7] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला तथा सोलन ।

[8] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: तीन बिक्री केन्द्र: ₹11.20 लाख, कुल्लू: 23 बिक्री केन्द्र: ₹3.91 लाख, मण्डी: 16 बिक्री केन्द्र: ₹19.18 लाख, नाहन: 29 बिक्री केन्द्र: ₹21.57 लाख, शिमला: 23 बिक्री केन्द्र: ₹17.24 लाख तथा सोलन: 15 बिक्री केन्द्र: ₹26.51 लाख ।

[9] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: ₹11.20 लाख, कुल्लू: ₹3.91 लाख, मण्डी: ₹0.12 लाख, सिरमौर: ₹1.95 लाख, शिमला: ₹13.75 लाख तथा सोलन: ₹0.45 लाख ।

पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[10] के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि पिछले वर्ष 2013-14 के 43,916.07 प्रूफ लीटर शराब (देशी शराब:11,836.99 तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 32,079.08 प्रूफ लीटर) के बिक्री न हुए स्टॉक को 252 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधरियों की गणना में नही लिया गया था। लाइसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 *प्रतिशत* की दर से ₹43.83 लाख की लाइसेंस फीस का भुगतान इस बिक्री न हुए स्टॉक के लिए देय था। लाइसेंस फीस की मांग न तो विभाग द्वारा की गई और न ही लाइसेंसधारियों द्वारा जमा करवाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹43.83 लाख[11] की लाइसेंस फीस की गैर-वसूली हुई ।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा ₹43.83 लाख में से ₹9.61 लाख[12] की राशि चार लाइसेंसधारियों से वसूल कर ली गई थी तथा शेष रशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.7 मद्यनिर्माणशाला/बॉटलिंग संयंत्र में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ के वेतन की अवसूली/अल्प-वसूली

एक मद्यनिर्माणशाला, एक शराब की भट्टी तथा दो बोतलीकरण संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ की वर्ष 2014-15 के लिए वेतन के रूप में ₹34.77 लाख की राशि लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की गई थी।

हिमाचल प्रदेश में भी लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.13 तथा 9.16 के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी शराब की भट्टी में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कार्य पर आबकारी विभाग द्वारा निगरानी रखने के लिए सरकारी आबकारी स्थापना स्टॉफ की तैनाती करने के लिए सहमत होगा जिसके लिए लाइसेंसधारी को स्टाफ को वेतन देना होगा।

एक मद्यनिर्माणशाला, एक शराब की भट्टी तथा दो बोतलीकरण संयत्रों सहित तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की प्रति जांच की तथा पाया कि लाइसेंसधारियों द्वारा शराब की भट्टियों/मद्यनिर्माणशालाओं/बोतलीकरण संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ की वर्ष 2014-15 के लिए वेतन की ₹36.62 लाख की राशि की अदायगी करना अपेक्षित था जिसमें से उन्होंने यद्यपि केवल ₹1.85 लाख की अदायगी की, इसके बावजूद कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने के नाते सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को इन तैनातियों का पता था। सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने इन मांगों को उठाने तथा देयताओं का संग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार सरकार को ₹34.77 लाख[13] से वंचित रखा।

---

[10] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त -बद्दी, मण्डी, नाहन, सोलन तथा ऊना ।

[11] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: 39 बिक्री केन्द्र: ₹7.30 लाख, मण्डी: 56 बिक्री केन्द्र: ₹6.07 लाख, नाहन: 41 बिक्री केन्द्र: ₹6.64 लाख, सोलन: 43 बिक्री केन्द्र: ₹11.26 लाख तथा ऊना: 73 बिक्री केन्द्र: ₹12.56 लाख।

[12] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: एक लाइसेंसी: ₹6.30 लाख, नाहन स्थित सिरमौर: एक लाइसेंसी: ₹0.23 लाख, सोलन: एक लाइसेंसी: ₹1.57 लाख तथा ऊना: एक लाइसेंसी: ₹1.51 लाख।

[13] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: ₹8.47 लाख , नाहन: ₹5.11 लाख तथा ₹6.86 लाख एवं ऊना: ₹14.33 लाख।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016)। सूचित किया कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा चार लाइसेंसधारियों से ₹34.77 लाख में से ₹26.98 लाख[14] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

सरकार को मामला जनवरी तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित कर दिया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.8 देशी शराब के बोतलीकरण पर लाइसेंस फीस तथा ब्याज की अल्प वसूली

दो लाइसेंसधरियों से ₹28.75 लाख लाइसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क की अल्प वसूली की गई। परिणामस्वरूप उस सीमा तक के राजस्व की हानि हुई । लाइसेंस फीस/फ्रैंचाइजी फीस के विलम्बित भुगतान पर ₹5.39 लाख का ब्याज भी वसूली योग्य था।

आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 5.1 (29) (iii) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश में भी लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.5 में प्रावधान है कि देशी शराब की 750 मिली लीटर की इकाईयों पर ₹0.80 प्रति इकाई की दर से लाइसेंस फीस लगाई जाएगी यदि देशी शराब को शराब की भट्टी लाइसेंसधारियों द्वारा बोतलीकरण किया गया है। पंजाब आसवनी नियमावली के नियम 9.5 (8) में आगे प्रावधान हैं कि यदि लाइसेंसधारी फीस अथवा असके किसी भाग को देय तिथि तक अदा करने में विफल रहता है तो देशी शराब/फ्रैंचाइजी फीस (भारत में निर्मित विदेशी शराब पर) पर एक मास तक 12 *प्रतिशत* वार्षिक दर से तथा यदि अदायगी में चूक एक मास से अधिक हो तो सम्पूर्ण विलम्ब के लिए 18 *प्रतिशत* की वार्षिक दर से ब्याज देय होगा जब तक चूक जारी रहती है। आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 5.2(1) में प्रावधान है कि देशी शराब पर आबकारी शुल्क ₹10 प्रति प्रूफ लीटर की दर से उद्ग्राहय होगा। लेखापरीक्षा में निम्नवत् पाया:

(क) लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[15] के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दो शराब की भट्टियों जो देशी शराब के निर्माण में लगी हुई थी, की भुगतान पंजिकाओं की नमूना जांच की तथा पाया कि 2014-15 की अवधि के लिए देशी शराब की 750 मिली लीटर की 25,17,688 इकाईयों के बोतलीकरण के लिए कुल ₹20.14 लाख की लाइसेंस फीस को न तो शराब की भट्टी लाइसेंसधारियों द्वारा जमा करवाया गया था न ही सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तो द्वारा मांगी गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे आगे पाया कि एक लाइसेंसी[16] ने 38,99,418.107 प्रूफ लीटर देशी शराब की बिक्री पर ₹3.90 करोड़ के विरूद्ध ₹3.81 करोड़ के ही आबकारी शुल्क का भुगतान किया था, परिणामस्वरूप ₹8.61 लाख के आबकारी शुल्क की अल्प वसूली हुई। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹28.75 लाख (₹20.14 लाख + ₹8.61 लाख) की अवसूली हुई।

(ख) लेखापरीक्षा ने सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के क्षेत्राधिकार की भुगतान पंजिकाओं की नमूना-जांच की तथा पाया कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तो[17] में चार लाइसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए ₹1.11 करोड़ की लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी फीस 07 जनवरी 2014 तथा 07 अप्रैल 2015 के मध्य भुगतान योग्य थी जिसको 24 मार्च 2014 तथा 02 दिसम्बर 2015 के मध्य विलम्ब से जमा किया गया था। विलम्ब तीन तथा 340 दिनों का था जिस पर ₹5.39 लाख[18] का ब्याज उद्ग्राहय था लेकिन विभाग द्वारा उद्ग्रहण/वसूल नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि दो सहायक आबकारी एवं

[14] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: एक बिक्री केन्द्र: ₹2.80 लाख, नाहन दो बिक्री केन्द्र: ₹9.86 लाख एवं ऊना: ₹14.32 लाख।

[15] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: एक लाइसेंसी: ₹18.30 लाख तथा ऊना: एक लाइसेंसी: ₹1.84 लाख।

[16] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना: एक लाइसेंसी: ₹8.61 लाख।

[17] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर तथा नाहन।

[18] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: एक लाइसेंसी: ₹2.16 लाख तथा नाहन: तीन लाइसेंसी: ₹3.23 लाख।

कराधान आयुक्तों द्वारा ₹34.14 लाख में से ₹10.89 लाख[19] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

सरकार को मामला जनवरी तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

3.9 एल-13 बिक्री केन्द्र को न खोलने के लिए निर्धारित फीस की अवसूली

विभाग ने दो लाइसेंसधारियों से उनको आबंटित ज़िलों में तीन बिक्री केन्द्रों को न खोलने पर ₹6.90 लाख की निर्धारित फीस को वसूल नहीं किया था।

आबकारी घोषणा वर्ष 2014-15 के परिच्छेद 6.10 में प्रावधान है कि देशी शराब के पूर्तिकारों को प्रति बिक्री केन्द्र ₹2.30 लाख की लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर उन्हें आबंटित किये गए प्रत्येक ज़िला में एल-13 बिक्री केन्द्र (थोक बिक्री केन्द्र) खोलने अपेक्षित थे। आगे यह भी प्रावधान है कि उन देशी शराब के पूर्तिकारों को जिन्होंने वर्ष 2013-14 के दौरान एल-13 बिक्री केन्द्र उन ज़िलों में खोले थे जो कि उनको वर्ष 2013-14 के दौरान आबंटित नहीं किये गए थे, उन्हें वर्ष 2014-15 के दौरान इन एल-13 बिक्री केन्द्रों को उन संबंधित ज़िलों में भी अनिवार्यता खोलना ही होगा जिन्हें बाद में वर्ष 2014-15 के लिए 'आबंटित' ज़िले बना दिया गया हो।

लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी एवं नाहन कार्यालय के एल-13 बिक्री केन्द्र के अभिलेखों की नमूना-जांच की तथा पाया कि नाहन के एक देशी शराब पूर्तिकार ने वर्ष 2014-15 के लिए उसे आबंटित पांच ज़िलों में से दो ज़िलों में एल-13 बिक्री केन्द्र नहीं खोले थे। मण्डी के एक अन्य लाइसेंसधारी ने जिसने बरमोह (ऊना ज़िला) में एल-13 बिक्री केन्द्र खोला था जो कि वर्ष 2013-14 के लिए उसे आबंटित नहीं था अत: इस प्रकार वर्ष 2014-15 के लिए उसे एल-13 बिक्री केन्द्र अनिवार्य रूप से खोलना था परन्तु उसको खोलने में वह असफल रहा। इस प्रकार तीन बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण इन दो लाइसेंसधारियों से ₹6.90 लाख की नियत फीस की वसूली की जानी थी। इसकी न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही पूर्तिकर्त्ताओं द्वारा इसे जमा करवाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹6.90 लाख की निर्धारित फीस की गैर-वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन ने (फरवरी 2016) सूचित किया कि संबंधित आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को लाइसेंसधारियों से राशि को वसूल करने हेतु नोटिस जारी कर दिए गए थे जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी ने बताया कि संबंधित लाइसेंसधारियों से नियत फीस को वसूल करने हेतु प्रयास किये जाएंगे।

सरकार को मामला जनवरी तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

[19] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: एक लाइसेंसी: ₹7.66 लाख तथा नाहन: तीन लाइसेंसी: ₹3.23 लाख ।

3.10 मनोरंजन शुल्क की अवसूली

आबकारी एवं कराधान विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क उदग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम-स ₹0.55 करोड़ के राजस्व का परित्याग हुआ ।

केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के प्रावधानानुसार केबल ऑपरेटरो का आवश्यक पंजीकरण उस क्षेत्र के मुख्य डाकघर के मुख्य डाकपाल के नाम से जानी जाने वाले प्राधिकरण के पास जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित केबल ऑपरेटर आता है, करवाना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम,1968 की धारा 3 के प्रावधानानुसार मनोरंजन कर का ऐसी दरों पर उद्ग्रहण किया जाएगा जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा यह शुल्क मालिक द्वारा संग्रहित किया जाएगा तथा निर्धारित तरीके से सरकार को देना होगा। 'केबल टेलिविजन' तथा 'टेलिविजन प्रर्दशनी' को हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधित) अधिनियम,1999 के अंतर्गत जैसाकि उसमें परिभाषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम की परिधि में लाया गया। 'टेलिविजन प्रर्दशनी' किसी प्रकार के ऐनटिना की मदद सहित एक प्रर्दशनी है जिसके साथ केबल नेटवर्क जुड़ा होता है।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[20] के अभिलेखों तथा जिला जनसम्पर्क अधिकारियों से प्राप्त की गई सूचना की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि इन तीन जिलों में 83 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे। तथापि, कोई भी केबल ऑपरेटर अपने ग्राहकों को प्रदान की गई मनोरंजन सेवाओं पर किसी प्रकार के मनोरंजन शुल्क की राशि का भुगतान नहीं कर रहा था जबकि वह मनोरंजन की आपूर्ति के लिए अपने उपभोक्ताओं से फीस प्रभारित कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा नियम के निर्धारण के लिए अथवा उद्ग्राहय की जाने वाले शुल्क की दरों अथवा उनसे कोई मनोरंजन शुल्क उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने मई 2012 की अधिसूचना के माध्यम से आदेश किये थे कि सभी प्रकार के मनोरंजनों पर शुल्क वर्तमान में तत्काल प्रभाव से प्रविष्टि के दौरान किये गए भुगतान के 10 *प्रतिशत* की दर से प्रभारित किया जाएगा। केबल ऑपरेटरों द्वारा उनके ग्राहकों से प्रभारित दरों पर किया गया 10 *प्रतिशत* उद्ग्रहण केबल ऑपरेटरों से ₹55.41 लाख के राजस्व के प्रोतभूत का कारण होगा जैसाकि **तालिका 2.3** में विवरण दिया गया है:

[20] सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त- चम्बा, नाहन तथा सोलन।

तालिका: 2.3: केबल ऑपरेटरों का विवरण जिनसे मनोरंजन शुल्क वसूल नहीं किया गया था

जिले का नाम	केबल ऑपरेटरों की कुल संख्या	मुख्य पोस्ट मास्टर के पास पंजीकृज केबल ऑपरेटर	केबल कनैक्शनों की संख्या	प्रति कनैक्शन दर (₹)	देय-योग्य मनोरंजन शुल्क की अवधि	महीनों की संख्या	केवल कनैक्शनों से राशि की वसूली (कॉलम 4×5×7) **(₹लाख में)**	10 *प्रतिशत* की दर पर मनोरंजन शुल्क **(₹लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
चम्बा	26	2	430	200	मई 2012 से मार्च 2015	35	30.10	3.01
		1	40	150		35	2.10	0.21
नाहन (सिरमौर)	28	4	6,350	200	मई 2012 से मार्च 2015	35	444.50	44.45
सोलन	29	10	1,814	200	फरवरी 2014 से फरवरी 2016	11 से 25	77.40	7.74
योग	**83**	**17**	**8,634**				**554.10**	**55.41**

विभाग ने (अक्तूबर 2016) सूचित किया कि 17 केबल ऑपरेटरों को तीन सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्तों द्वारा मनोरंजन कर की राशि जमा करने हेतु सूचनाएं जारी कर दी गई थी तथा क्षेत्र के आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को इसे वसूलने हेतु भी निर्देश दिये गए थे।

सरकार को मामला मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

अध्याय -IV
स्टाम्प शुल्क

अध्याय-IV
स्टाम्प शुल्क

4.1 कर प्रशासन

स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश में लागू होने वाले भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899, भारतीय पंजीकरण अधिनियम,1908 तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है और इसे सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव (राजस्व) द्वारा प्रशासित किया जाता है। महानिरीक्षक पंजीयन, राजस्व विभाग का अध्यक्ष है जिसे पंजीकरण कार्य के अधीक्षण तथा प्रशासन के संचालन का अधिकार प्राप्त है। उसे 12 उपायुक्तों तथा क्रमश: पंजीयक व उप-पंजीयक के रूप में कार्य करने वाले 117 तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों द्वारा सहयोग प्राप्त होता है।

4.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015-16 में राजस्व विभाग की 77 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 322 मामलों में ₹218.02 करोड़ की राशि के आवास ऋण पर अनियमित छूट, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, पट्टा विलेखों का निष्पादन न करना, पट्टा राशि की गैर/अल्प वसूली, तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो निम्नवत् **तालिका 4.1** में दी गई श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
	प्राप्ति शीर्ष-"0029-भू-राजस्व"		
1	पट्टा विलेखों का गैर-निष्पादन/नवीकरण न करना	29	198.12
2	पट्टा राशि की गैर/अल्प वसूली	69	16.32
	प्राप्ति शीर्ष-"0030- स्टाम्प तथा पंजीकरण"		
1.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण तथा आवास ऋण पर अनियमित छूट	69	3.00
2.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण / अल्पोद्ग्रहण	55	0.46
3.	अन्य अनियमितताएं	100	0.12
	योग	**322**	**218.02**

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने 139 मामलों में ₹61.83 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की थी जिसमें से 94 मामलों में ₹1.43 करोड़ की राशि वसूल की गई उसमें से 73 मामलों में ₹36.57 लाख विगत वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से तथा 21 मामलों में ₹1.06 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 से संबंधित थी।

₹103.58 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आवश्यक मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.3 सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली

राज्य सरकार उपभोक्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि को पट्टे पर देते समय सांविधिक एवं विनियमित प्रावधानों की अनुपालना एवं लागू करवाना सुनिश्चित करने में विफल रही परिणामस्वरूप कुल ₹101.80 करोड़ के राजस्व की अवसूली अथवा अल्प-वसूली हुई। पट्टे के आधार पर किये गए आबंटनों एवं भूमि के केन्द्रीकृत डाटा का अनुरक्षण न करने के द्वारा पट्टो का उपयुक्त प्रबन्धन एवं अनुश्रवण करने में विभाग की क्षमता भी कमजोर थी। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित/नवीकृत नहीं किये गए थे; पट्टा राशि को भूमि के प्रचलित बाजारी मूल्य के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार नियत/संशोधित नहीं किया गया तथा विभाग ने सरकार के पक्ष में भूमि को पुर्नग्रहण करवाने अथवा पट्टा विलेखों को निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

4.3.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पट्टा नियमों को बनाया जिन्हें हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के रूप से जाना जाता है, जिनको 2011, 2012 एवं 2013 में संशोधित किया गया। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 3(1) के अनुसार नियम 6 में उल्लेखित पात्र संस्थानों एवं व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति से भूमि को पट्टे पर दिया जा सकता है। नियम 8(1) में प्रावधान है कि पात्र संस्थानों एवं व्यक्तियों से प्रतिवर्ष लागू दर के अनुसार पट्टा राशि (नए या विद्यमान पट्टे के नवीकरण) प्रभारित की जाएगी। "सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली" के संबंध में एक संक्षिप्त प्रक्रिया/प्रणाली **परिशिष्ट-II** में दी गई है।

वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि को आवृत करने वाली "सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली" पर लेखापरीक्षा जुलाई 2015 तथा दिसम्बर 2015 के मध्य 12 जिला उपायुक्तों में से आठ जिला उपायुक्तों[1] के कार्यालयों में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से संचालित की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे बताए गए है:

4.3.2 पट्टे पर दी गई भूमि के केन्द्रीकृत ड़ाटाबेस का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम के नियम 9 के अनुसार लोक उद्देश्यों के लिए उपार्जित भूमि, *नाजूल भूमि*[2] तथा प्रत्येक जिलों में लगाए गए शिविर मैदानों की भूमि को छोड़ कर, सरकारी भूमि की एक सूची आयुक्त द्वारा अनुरक्षित की जाएगी तथा वह प्रति वर्ष निर्धारित प्रपत्र/रजिस्टर में इसकी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार समय-समय पर यह निश्चित करेगी कि नियम 10 (1) में विनिर्दिष्टित भूमि में से कौन सी भूमि पट्टे पर दिये जाने के लिए उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उपायुक्त द्वारा जिला-वार तथा तहसील-वार पट्टे पर दी गई भूमि का निर्धारित प्रपत्र में एक ऑन-लाइन पट्टा रजिस्टर अनुरक्षित करना होगा।

आठ जिला उपायुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि चार उपायुक्तों के कार्यालय में पट्टा विलेखों का वर्षवार केन्द्रीकृत ड़ाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था। अन्य चार जिलों[3] में अनुरक्षित किये गए पट्टा रजिस्टर अपूर्ण थे तथा पट्टा को दिये जाने की तिथि, करार एवं शर्ते व निबंधन की तिथि, मोहाल का नाम, पट्टे पर दी गई कुल भूमि तथा नवीकरण करने की तिथि

[1] चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, मण्ड़ी, शिमला, सोलन तथा ऊना ।

[2] ऐसी भूमि जो नगर पालिका की सीमाओं से दो मील दूर स्थित, जिसको राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित किया गया हो तथा राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए विनियोजित नहीं किया गया हो ।

[3] चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू,तथा शिमला ।

इत्यादि को नहीं दर्शाते थे। इन विवरणों की अनुपस्थिति में दिये गए पट्टों की संख्या तथा इनके प्रति वसूल की गई पट्टा राशि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2016) कि समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों (जिला उपायुक्तों) को पूर्ण वर्णनों/विवरणों सहित सारी सरकारी भूमि के पट्टों का केन्द्रीकृत डाटा अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके थे।

4.3.3 पट्टा विलेखों को निष्पादित किये बिना सरकारी भूमि का स्थानातंरण

अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि सात जिलों[4] में सरकारी भूमि को जल विद्युत परियोजनाओं, बोर्डों, स्कूलों तथा न्यास इत्यादि के प्रतिष्ठापन हेतु 15 से 99 वर्षों के मध्य की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर (नवम्बर 1999 तथा दिसम्बर 2014 के मध्य) प्रदान किया। तथापि, भूमि का कब्जा हस्तांतरण करने से पूर्व न तो कोई पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था और न ही 31 मार्च 2016 तक ₹160.64 करोड़ की पट्टा राशि वसूल की गई थी जबकि पट्टे पर दी गई भूमि पर विर्निदिष्ट गतिविधियां प्रारम्भ की जा चुकी थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2016) सूचित किया कि ₹58.21 करोड़ में से ₹0.67 करोड़ को उपायुक्त, कुल्लू तथा शिमला में वसूल कर लिया गया था तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे। शेष इकाईयों से ₹12.02 करोड़ की वसूली हेतु उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

4.3.4 पट्टा विलेखों का नवीकरण न करना

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम के नियम 25 में प्रावधान है कि पट्टा की समाप्ति पर सरकार सारी भूमि अथवा इसके किसी भाग को अपने कब्जे में ले सकती है। भूमि को ऐसे पुर्नग्रहण की विफलता पर पट्टाधारी ऐसी शर्तों एवं ऐसे नियमों पर पट्टे के नवीकरण करने हेतु हकदार होगा जितनी भू-राजस्व की राशि एवं किराया अथवा पट्टा राशि तथा अन्य प्रभारों का उसके द्वारा भुगतान किया जाना हो, जिसे कि सक्षम प्राधिकारी निश्चित करेगा।

तीन जिलों[5] के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि हथकरघा केन्द्र (मार्च 1978), भण्ड़ारण तथा पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (1996) तथा खनन एवं बजरी के दोहनार्थ गतिविधियों (2007-08 तथा 2012-13 के मध्य) हेतु 84-61-48 हेक्टेयर परिमाप वाली सरकारी भूमि को 5 से 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे आधार पर 12 पट्टाधारियों के पक्ष में संस्वीकृति प्रदान की गई थी। पट्टा विलेख मई 2008 तथा अप्रैल 2014 के मध्य समाप्त हो चुके थे। तथापि पट्टा विलेखों को न तो नवीकृत किया गया था, और न ही सरकार ने भूमि को वापिस कब्जे में लिया था। इसके परिणामस्वरूप ₹14.25 करोड़ की पट्टा राशि की अल्प-वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2016) सूचित किया कि ₹26.55 लाख की राशि को उपायुक्त, कुल्लू द्वारा वसूल कर लिया गया था तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे। शेष इकाईयों से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

[4] चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, मण्ड़ी, शिमला तथा सोलन।

[5] कांगड़ा, कुल्लू तथा शिमला।

4.3.5 पट्टा राशि को कम नियत करना

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम के नियम 8(1) में प्रावधान है कि पट्टा राशि क्रमश: व्यक्तियों, निजी कम्पनियों तथा शैक्षणिक संस्थानों के मामलों में प्रतिवर्ष पट्टे पर दी गई भूमि के प्रचलित बाज़ारी मूल्य अथवा पांच वर्षों के औसत बाज़ारी मूल्य का दोगुना, जो भी कम हो, पर पांच अथवा आठ अथवा 18 *प्रतिशत* की दर से पट्टा राशि वसूल की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त,पट्टा राशि को पट्टा करार में विनिर्दिष्ठित अवधि के पश्चात् पट्टे पर दी गई भूमि के नवीनतम व उच्चतम बाज़ारी मूल्य अथवा पांच वर्षो के औसत बाज़ारी मूल्य का दोगुना, जो भी कम हो, के आधार पर संशोधित किया जाएगा। आगे प्रावधान है कि नए अथवा विद्यमान पट्टे के नवीकरण के लिए पट्टा राशि वर्तमान सर्कल दरों के 10 *प्रतिशत* की दर से प्रति वर्ष प्रभारित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, के नियम 17(3) में प्रावधान है कि यदि पट्टाधारी किसी भी समय पट्टा विलेख की किसी भी शर्त का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा।

लेखा परीक्षा में पट्टा प्रभारों के अल्प-वसूली अथवा संशोधन न करने के कारण ₹12.24 करोड़ के मामले उद्घाटित हुए जो निम्न दर्शाए गए है।

(क) पांच जिला उपायुक्तों[6] के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 16-60-81 हेक्टेयर परिमाप की सरकारी भूमि को पट्टे के आधार पर दिये जाने की संस्वीकृति 13 पट्टाधारियों के पक्ष में प्रदान की गई। इन पट्टा विलेखों को 20 से 99 वर्षों की अवधि के लिए जनवरी 1987 तथा अक्तूबर 2014 के मध्य निष्पादित किया गया था। भूमि का बाज़ारी मूल्य, भूमि के प्रचलित बाज़ारी मूल्य के आधार पर ₹13.55 करोड़ था तथा पट्टा राशि निर्धारित दरों पर ₹3.31 करोड़ प्रभारित की जानी थी। जबकि विभाग ने पट्टा प्रभारों को प्रचलित बाज़ारी दरों की अपेक्षा निम्न दरों के आधार पर नियत किया तथा ₹21 लाख की पट्टा राशि की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप ₹3.10 करोड़ की पट्टा राशि की अल्प-वसूली हुई।

(ख) आठ जिलों[7] के अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि 10 से 99 वर्षों की अवधि के लिए 28 पट्टाधारियों के पक्ष में 31-19-17 हेक्टेयर परिमाप वाली सरकारी भूमि को पट्टे पर प्रदान किया गया था। इन पट्टा विलेखों को जनवरी 1984 तथा सितम्बर 2009 के मध्य निष्पादित किया गया था। यह पट्टा विलेख 5/10 वर्षों के अंतराल पर 1993-94 तथा 2014-15 के मध्य नवीकरण के लिए देय थे । प्रचलित बाज़ारी दरों पर भूमि का बाज़ारी मूल्य ₹26.99 करोड़ निकाला गया जिस पर 1993-94 से 2014-15 की अवधि के लिए ₹9.26 करोड़ के पट्टा प्रभार भुगतान योग्य थे अर्थात् जब पट्टा करार के अनुसार पट्टे संशोधन के लिए देय थे। इसमें से चार मामलों में पट्टाधारियों ने ₹11.74 लाख की पट्टा राशि का भुगतान कर दिया था जबकि शेष पट्टाधारियों ने पट्टा राशि का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने न तो संशोधित पट्टा राशि को वसूल करने के लिए कार्रवाई की और न ही उनके पट्टों को रद्द किया। इसके परिणामस्वरूप ₹9.14 करोड़ की पट्टा राशि की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, उपायुक्त मण्ड़ी ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि पट्टाधारियों से ₹1.96 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा उपायुक्त, कुल्लू एवं शिमला ने (जून 2016) सूचित किया कि चूक-कर्त्ताओं से पट्टा राशि को वसूल करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय इकाईयों को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके थे। शेष उपायुक्तों ने कोई उत्तर नहीं दिया था।

---

[6] चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू तथा शिमला।

[7] चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्ड़ी, शिमला, सोलन तथा ऊना।

4.3.6 एक-मुश्त के आधार पर पट्टा राशि की अवसूली/अल्प-वसूली

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम के नियम 8(2) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी उस अवधि के लिए जिसके लिए भूमि को पट्टे पर दिया गया है, एक-मुश्त राशि के रूप में उच्चतम बाजारी मूल्य अथवा पांच वर्षों के औसत बाज़ारी मूल्य का दोगुना, जो भी कम हो, तथा एक रूपये टोकन पट्टा राशि के रूप में प्रति मास प्रभारित कर सकता है।

4.3.6.1 पांच उपायुक्तों[8] के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 40 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पांच पट्टाधारियों के पक्ष में 36-51-07 हेक्टेयर सरकारी भूमि को एक-मुश्त आधार पर अप्रैल 1980 तथा दिसम्बर 2010 के दौरान पट्टे पर प्रदान करने की संस्वीकृति प्रदान की गई थी। विभाग ने पट्टाधारी से प्रति माह केवल एक रूपये टोकन पट्टा राशि के आधार पर पट्टा राशि वसूल की परन्तु एक-मुश्त पट्टाराशि की वसूली नहीं की परिणामस्वरूप ₹4.78 करोड़ की अवसूली हुई।

4.3.6.2 चार उपायुक्तों[9] के अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि 30 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पांच पट्टाधारियों के पक्ष में 09-48-07 हेक्टेयर परिमाप वाली सरकारी भूमि को एक-मुश्त राशि के आधार पर (जनवरी 1994 तथा मार्च 2001 के मध्य) पट्टे पर प्रदान करने की संस्वीकृति प्रदान की गई थी। विभाग ने एक-मुश्त राशि के आधार पर ₹58.29 लाख के बजाए ₹28.67 लाख की राशि निकाली तथा वसूल की जिसके परिणामस्वरूप ₹29.62 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

4.3.7 निष्कर्ष

सरकारी भूमि की पट्टा राशि से मिलने वाली प्राप्तियां राज्य सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत होती है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि को पट्टे पर देते समय वैधानिक एवं नियामक प्रावधानों की अनुपालना एवं लागू करवाने को सुनिश्चित करने में विफल रही परिणामस्वरूप कुल ₹101.80 करोड़ के राजस्व की अवसूली अथवा अल्प-वसूली हुई। पट्टे के आधार पर किये गए आबंटनों एवं भूमि के केन्द्रीकृत डाटा का अनुरक्षण न करने के द्वारा पट्टो का उपयुक्त प्रबन्धन एवं अनुश्रवण करने की विभाग की क्षमता भी कमजोर थी ।

सरकार ने (सितम्बर 2016) सूचित किया कि समस्त संबंधित उपायुक्तों/विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके थे।

4.4 निर्मित ढ़ांचे पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली

₹10.99 करोड़ के निर्मित ढ़ांचे के लिए गलत बाज़ारी दर को अपनाने के कारण ₹0.79 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण की फीस की अल्प-वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (प्रलेखों के अवमूल्यन की रोकथाम) के संशोधित नियम, 1992 के नियम 4 (सी) में दिनांक 26 जून 2013 की अधिसूचना द्वारा किये गए संशोधन में प्रावधान है कि निर्मित ढ़ांचे के मामले में आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के मूल्यांकन की दर नियत करने के लिए कुछ कारकों, जैसे (i) भवनों का पक्का, अर्ध-पक्का और कच्चा के रूप में वर्गीकरण (ii) क्षेत्र जिसमें भवन अवस्थित है (iii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम प्लीन्थ क्षेत्र

[8] चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन तथा ऊना।

[9] हमीरपुर शिमला, सोलन तथा ऊना ।

दरें (iv) वार्षिक बढ़ौतरी के लिए प्रीमियम तथा (v) ढ़ांचे द्वारा धारित भूमि क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। जिला उपायुक्त किसी भी संव्यवहार के लिए स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस को संगणित करने के लिए दरें निर्धारित करेगा। पंजीयन अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए उपायुक्त द्वारा नियत की गई दरों के संदर्भ को बिक्री विलेखों में दर्शाई गई प्रतिफल की राशि के साथ सत्यापित करना अपेक्षित है। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस राजस्व विभाग की दिनांक 12 जनवरी 2012 तथा 27 जनवरी 2014 की अधिसूचनाओं के अनुसार प्रभारित की जाएगी।

20 उप-पंजीयकों[10] के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि बिक्री प्रलेखों के 171 दस्तावेजों को निजी वास्तुकारों द्वारा तैयार किये गए सम्पत्ति के मूल्यांकनों के आधार पर जुलाई 2013 तथा दिसम्बर 2014 के मध्य ₹10.20 करोड़ के प्रतिफल के लिए पंजीकृत किया गया था जो कि निर्मित ढ़ांचे की वर्तमान बाज़ारी/अधिसूचित दरों के आधार पर नहीं थी। जून 2013 में उपायुक्तों द्वारा नियत की गई बाजारी दरों के आधार पर निर्मित ढ़ांचे के मूल्य (₹10.99 करोड़) सहित सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य की संगणना ₹21.19 करोड़ की गई थी। अत: उप-पंजीयकों ने बिक्री विलेखों के इन दस्तावेजों का पंजीकरण करते समय निर्मित ढ़ांचे हेतु उपायुक्त द्वारा नियत की गई दरों के साथ प्रतिफल राशि का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹0.79 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ये दरें जिन्हें प्रथम अप्रैल 2014 से संशोधित किया जाना अपेक्षित था, मार्च 2015 तक संशोधित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने जनवरी तथा सितम्बर 2016 में सूचित किया कि सात उप-पंजीयकों[11] द्वारा ₹0.79 करोड़ में से ₹9.86 लाख की राशि को वसूल कर लिया गया था। शेष उप-पंजीयकों ने बताया कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था। इसका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

4.5 सम्पतियों के बाज़ारी मूल्य का अवनिर्धारण

क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र के आधार पर गलत मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹0.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹27.94 लाख की शास्ति भी उदग्रहण योग्य थी।

बिक्री विलेखों के पंजीकरण के प्रयोजन हेतु भूमि का मूल्यांकन, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र, दोनों के मामले में हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा भूमि के वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। जनवरी 2012 में जारी की गई अधिसूचना में ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में भूमि के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु भूमि के वर्गीकरण को तीन श्रेणियों में बांटने का प्रावधान किया गया है जैसे कि (i) सम्पत्ति जिससे संबंधित खसरा नंबर या उसका कोई

[10] बद्दी: 42 मामले: ₹14.71 लाख, बैजनाथ: तीन मामले: ₹0.40 लाख, बंगाणा: नौ मामले: ₹1.32 लाख, भराड़ी: छ: मामले: ₹2.50 लाख, चच्योट: एक मामला: ₹2.10 लाख, चम्बा: 13 मामले: ₹11.11 लाख, डल्हौजी: छ: मामले: ₹2.71 लाख, देहरा: आठ मामले: ₹1.82 लाख, धर्मशाला: तीन मामले: ₹2.85 लाख, धीरा: चार मामले: ₹1.10 लाख, गलोर: नौ मामले: ₹1.23 लाख, कस्वा-कोटला: चार मामले: ₹0.84 लाख, कुमारसेन: दो मामले: ₹1.02 लाख, कसौली: चार मामले: ₹1.99 लाख, मनाली: 10 मामले: ₹7.22 लाख, मण्ड़ी: 14 मामले: ₹5.01 लाख, नादौन: छ: मामले: ₹2.14 लाख, पांवटा साहिब: 20 मामले: ₹15.74 लाख, सलूणी: तीन मामले: ₹0.56 लाख तथा शिमला (शहरी): चार मामले: ₹2.65 लाख ।

[11] उप-पंजीयक, बंगाणा: ₹0.86 लाख, भराड़ी: ₹0.94 लाख, चम्बा: ₹3.63 लाख, ड़ल्हौजी: ₹2.19 लाख, गलोर: ₹1.02 लाख, मण्ड़ी: ₹0.83 लाख तथा सलूणी: ₹0.39 लाख ।

भाग किसी सड़क से छूता हो (ii) उपर्युक्त (i) में पड़ने वाली सम्पत्ति के अतिरिक्त जिसका संबंधित खसरा नंबर या उसका कोई भाग किसी सड़क से 50 मीटर तक की दुरी पर पड़ता हो (iii) उपर्युक्त (i) में पड़ने वाली सम्पत्ति के अतिरिक्त जिसका कोई भाग ऐसी किसी सड़क से 50 मीटर तक की दूरी के भीतर न आता हो। शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली भूमि के मामले में, ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मीटर सीमा के स्थान पर 25 मीटर सीमा लागू होगी। सड़कों को राष्ट्रीय उच्चमार्ग, राज्यीय उच्च मार्ग तथा अन्य सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। क्रेता को ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में राजस्व संपदा में अथवा शहरी क्षेत्र में सड़क की संबंधित श्रेणी में आने वाले राज्यीय उच्च मार्ग एवं राष्ट्रीय उच्चमार्ग अथवा अन्य सड़कों से संबंधित भूमि की दूरी बताने से संबंधित शपथ-पत्र देना अपेक्षित है जोकि स्टाम्प शुल्क संगणित करने के लिए दर आधार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यदि क्रेता का शपथ-पत्र झूठा पाया गया तो उद्ग्राहय योग्य स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस के 50 *प्रतिशत* तक शास्ति उदगृहित एवं वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा की नौ उप-पंजीयकों[12] के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि ₹8.89 करोड़ की प्रतिफल राशि के लिए 55 दस्तावेजों को 2013 एवं 2014 के मध्य भूमि के वर्गीकरण के आधार पर जो क्रेताओं द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से सम्पत्तियों की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र पर पंजीकृत किया गया था। भूमि का वर्गीकरण उच्च मार्ग एवं राष्ट्रीय उच्चमार्ग अथवा अन्य सड़कों से गलत दूरी पर वर्गीकृत किया गया था। उप-पंजीयकों ने इन बिक्री विलेखों को पंजीकृत करते समय सड़कों से भूमि की वास्तविक दूरी तथा स्थिति की पुष्टि नहीं की किन्तु क्रेत्ता द्वारा दायर किये गए शपथ-पत्र पर विश्वास किया जिनमें कि गलत ब्योरा था। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में वास्तविक दूरी के आधार पर विलेखों के वास्तविक मूल्यांकन ₹16.95 करोड़ के स्थान पर ₹8.89 करोड़ के मूल्यांकन को अपनाने के कारण ₹0.56 करोड़[13] के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस के 50 *प्रतिशत* की दर से ₹27.94 लाख की शास्ति भी उद्ग्राहय योग्य थी।

इसे जुलाई 2015 तथा जनवरी 2016 के मध्य इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2016) सूचित किया कि ₹3.07 लाख में से ₹0.16 लाख की राशि उप-पंजीयक, ज्वाली द्वारा वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली हेतु सूचनाएं जारी की जा चुकी थी। शेष उप-पंजीयकों से उत्तर अभी प्रतीक्षित थे।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

4.6 गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क की अल्प-वसूली

बिक्री विलेखों के 400 मामलों में स्टाम्प शुल्क की गलत दरों को लागू किये जाने के कारण ₹31.87 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प-वसूली हुई।

राजस्व विभाग ने दिनांक 27 जनवरी 2014 की अधिसूचना के द्वारा स्टाम्प शुल्क की दरों को पांच से छः *प्रतिशत* पर संशोधित किया जहां भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची-1-'ए' के

[12] उप-पंजीयक- देहरा, धर्मशाला, ज्वाली, नुरपूर, पांवटा साहिब, राजगढ़, शाहपुर, ठियोग तथा थुरल ।

[13] उप-पंजीयक- देहरा: दो मामले: ₹3.10 लाख, धर्मशाला:10 मामले: ₹16.14 लाख, ज्वाली: पांच मामले: ₹3.07 लाख, नूरपुर: चार मामले: ₹5.30 लाख, पांवटा साहिब: दो मामले: ₹1.89 लाख, राजगढ़: पांच मामले: ₹14.90 लाख, शाहपुर: दो मामले: ₹0.19 लाख, ठियोग: आठ मामले: ₹9.56 लाख तथा थुरल: 17 मामले: ₹1.74 लाख ।

अनुच्छेद 23, 33 एवं 40 के अंतर्गत ऐसे प्रलेखों को अन्य व्यक्तियों के पक्ष में पंजीकृत किया गया था।

10 उप-पंजीयकों[14] के अभिलेखों की अगस्त 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य नमूना-जांच से सामने आया कि 27 जनवरी 2014 तथा 23 फरवरी 2014 के मध्य ₹31.86 करोड़ की प्रतिफल की राशि हेतु 400 दस्तावेजों को पंजीकृत किया गया था। उप-पंजीयकों ने इन दस्तावेजों को पंजीकृत करते समय जनवरी 2014 में अधिसूचित की गई संशोधित दरों पर उदग्रहण हेतु अपेक्षित राशि ₹1.91 करोड़ की बजाए पूरानी दरों के आधार पर ₹1.59 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹31.87 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प-वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (फरवरी 2016) सूचित किया कि ₹6.85 लाख में से ₹0.19 लाख की राशि को उप-पंजीयक, नूरपुर द्वारा वसूल कर लिया गया था तथा शेष राशि की वसूली हेतु सूचनाएं जारी की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त, उप-पंजीयक, बद्दी ने (नवम्बर 2015) सूचित किया कि सॉफ्टवेयर में कमी के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई तथा इस प्रकार जनवरी 2014 के पश्चात् पंजीकृत किये गए संपूर्ण मामलों की समीक्षा की जाएगी एवं स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत देय वसूली को वसूल कर लिया जाएगा। शेष नौ उप-पंजीयकों ने बताया कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

4.7 पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली

प्रचलित बाज़ारी दरों को न अपनाने के कारण पट्टा विलेखों पर ₹10.64 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

राजस्व विभाग ने दिनांक 12 जनवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा स्टॉम्प शुल्क की दरों को पांच *प्रतिशत* तथा पंजीकरण फीस को सम्पत्ति के बाज़ारी मूल्य के दो *प्रतिशत* अथवा प्रतिफल राशि, जैसा भी मामला हो, जो भी उच्च हो, के रूप में संशोधित किया।

तीन उप-पंजीयकों[15] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 08 फरवरी 2013 तथा 21 फरवरी 2014 के मध्य सात मामलों में भूमि को 5 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया। उप-पंजीयकों ने इन प्रलेखों को पंजीकृत करते हुए संपत्ति के प्रचलित प्रतिफल बाज़ारी मूल्य ₹6.77 करोड़ पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस ₹13.34 लाख के स्थान पर ₹186.80 लाख के बाज़ारी मूल्य पर ₹2.70 लाख की स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹10.64 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

[14] अम्ब: 59 मामले: ₹6.38 लाख, बद्दी : 34 मामले: ₹6.96 लाख, बैजनाथ: 20 मामले: ₹1.41 लाख, देहरा: 25 मामले: ₹1.34 लाख, मनाली: 11 मामले: ₹1.17 लाख, नादौन: 42 मामले: ₹1.01 लाख, नूरपुर: 97 मामले: ₹6.85 लाख, पांवटा साहिब: 76 मामले: ₹5.46 लाख, श्री नयना देवी:17 मामले: ₹0.89 लाख तथा टोणी देवी: 19 मामले: ₹0.40 लाख ।

[15] उप-पंजीयक- आनी: एक मामला: ₹0.42 लाख, धर्मशाला: दो मामले: ₹6.74 लाख तथा मण्ड़ी: चार मामले: ₹3.48 लाख ।

इसे (जुलाई 2015 तथा सितम्बर 2015 के मध्य) इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि ₹0.47 लाख की राशि को उप-पंजीयक, मण्ड़ी द्वारा वसूल कर लिया गया था तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे। शेष उप-पंजीयकों ने सूचित किया कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

अध्याय -V
वाहन, माल व यात्री कर

अध्याय-V
वाहन, माल व यात्री कर

5.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (परिवहन)सरकार स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों एवं उनके अंर्तगत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा ये निदेशक परिवहन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होती है। माल व यात्री कर से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है जिनका संचालन राज्य के आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015-16 में राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत सांकेतिक कर, विशेष पथ कर, पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाइसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बंधित 56 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 322 मामलों में ₹160.13 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो **तालिका 5.1** में निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	**गैर-वसूली/ अल्पवसूली**		
	• सांकेतिक कर व समेकित फीस	138	3.95
	• विशेष पथ कर	37	55.36
	• यात्री व माल कर	34	7.95
2.	**अपवंचन**		
	• सांकेतिक कर	22	1.02
	• यात्री व माल कर	27	9.26
3.	**अन्य अनियमितताएं**		
	• वाहन कर	30	0.93
	• यात्री व माल कर	34	81.66
	योग	**322**	**160.13**

विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान 323 मामलों में ₹16.83 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 270 मामलों में ₹4.38 करोड़ की राशि वसूल की गई उसमें 259 मामलों में ₹3.88 करोड़ विगत वर्षों से तथा 11 मामलों में ₹0.50 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 से संबंधित थी।

₹90.61 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आवश्यक मामलों की विवेचना निम्नवत् परिच्छेदों में की गई है:

5.3 आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली

अप्रर्याप्त प्रर्वतन के साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों का निष्कृष्ट अनुरक्षण एवं आबकारी एवं कराधान विभाग का मोटर वाहन पंजीकरण प्राधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण सभी वाणिज्यिक वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹84.90 करोड़ के राजस्व का अनुउद्ग्रहण/अल्प-उद्ग्रहण हुआ।

परिचय

यात्री व माल कर से प्राप्तियों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम,1955 तथा हिमाचल प्रदेश यात्री व माल नियमावली, 1957 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। वाणिज्यिक वाहनों (वाहन) पर लगाए जाने योग्य यात्री व माल कर का भुगतान हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर नियमावली के नियम 9 के अनुसार अग्रिम रूप से या तो त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर किया जाता है। 12 व्यक्तियों तक के बैठने की क्षमता वाली टैक्सियों के सम्बन्ध में यात्री कर का भुगतान उनके बैठने की क्षमता के अनुसार एक-मुश्त किया जाता है तथा बारह सीटों से अधिक क्षमता वाली टैक्सियों के संदर्भ में यात्री कर का निर्धारण तथा भुगतान हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर नियमावली के नियम 9(8) के अनुसार एक निर्धारित फार्मूला[1] के अनुसार किया जाता है तथा माल कर का भुगतान वाहन की भारण क्षमता के अनुसार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर (संशोधित) अधिनियम की धारा 3-'बी' में आगे प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को राज्य के भीतर प्रत्येक दो सौ पचास किलोमीटर अथवा उसके किसी भाग जो सड़क द्वारा तय किया गया/अथवा तय किया जाना है, के लिए निर्धारित दरों पर, जो अनुसूची-।। की कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, माल के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा।

2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए 'आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली' पर आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[2] की लेखापरीक्षा दिसम्बर 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य राजस्व की वसूली में विभाग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन हेतु की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम को अनुवर्ती परिच्छेदों में दर्शाया गया है:

5.3.1 अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

प्रभावी तथा समायोचित राजस्व का उदग्रहण एवं संग्रहण मुख्यतया अभिलेखों के सही तथा अद्यतन रख-रखाव पर निर्भर करता है जोकि यथासमय अनुश्रवण एवं वसूली को सुनिश्चित करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि डाटा तथा अभिलेखों को विभिन्न विभागीय प्राधिकरणों द्वारा भिन्न-भिन्न स्तरों पर अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था, अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा यह बकाया के प्रभावशाली तरीके से निपटान की उनकी क्षमता को कमज़ोर करता है इसके साथ-साथ ही राजस्व संग्रहण के प्रयासों की प्रभावकारिता के लिए कोई आश्वासन उपलब्ध नहीं करता जैसे कि नीचे विवरण किया गया है:

[1] सीटों की संख्या × अनुसूचित किलोमीटर की संख्या × कुल घेराव जोकि (33) *प्रतिशत* है × यात्री कर की दर × प्रति किलोमीटर भाड़ा ।

[2] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना ।

(i) केन्द्रीयकृत आंकड़ों का अनुरक्षण न करना: राज्य में पंजीकृत किये गये यात्री, माल, शैक्षणिक संस्थान एवं संविदा कैरिजों तथा हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये गये संविदा कैरिजो की संख्या को दर्शाते हुए करों व अन्य देयों के प्रभार एवं संग्रहण के लिए प्रभावी नियंत्रण तथा उद्ग्रहण हेतु जांच के लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत किये गये वाणिज्यिक वाहनों की कुल संख्या के केन्द्रीयकृत आंकड़े आयुक्त आबकारी एवं कराधान (विभाग का मुखिया) स्तर पर अनुरक्षित किये जाने थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पंजीकृत किये गये वाहनों की कुल संख्या के केन्द्रीयकृत आंकड़े एवं वर्ष-वार/जिलावार देय तथा ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में वसूले गये राजस्व के आंकड़ों का न तो मुख्यालय स्तर पर और न ही इकाई स्तर पर अनुरक्षण किया गया था। डाटा का यह अभाव राजस्व की पूर्ण क्षमता के साथ वसूली सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव को दर्शाता है।

(ii) मांग एवं संग्रहण पंजिकाओं का अनुरक्षण न करना: हिमाचल प्रदेश यात्री व माल नियमावली के नियम 19 (क) एवं (ख) में प्रावधान है कि प्रत्येक जिला के आबकारी एवं कराधान कार्यालय में एक दैनिक संग्रहण पंजिका तथा मांग एवं संग्रहण पंजिका का अनुरक्षण किया जाना चाहिए जिसमें मोटर वाहन के मालिक द्वारा किये गए भुगतान के प्रमाण के रूप में प्राप्त किये गए प्रत्येक चालान के विवरण अभिलेखित किये जाएगें। लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बद्दी, शिमला तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना (आबकारी कराधान अधिकारी, अम्ब), सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर (आबकारी कराधान अधिकारी, नादौन) में दैनिक संग्रहण पंजिकाऐं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आई0 टी0 एप्लिकेशन के अंतर्गत अनुरक्षित नहीं की गई थी। आगे यह भी पाया गया कि इन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 2012-13 तथा 2014-15 के मध्य पंजीकृत किये गये वाहनों के संदर्भ में मैनुअल आधार पर भी दैनिक संग्रहण पंजिकाओं को अनुरक्षित नहीं किया था। दैनिक संग्रहण पंजिकाओं की अनुपस्थिति में इस अवधि के दौरान पंजीकृत किये गये 15,295 वाहनों[3] के संदर्भ में कर भुगतान का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

(iii) अपूर्ण मांग एवं संग्रहण पंजिकाऐं: दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[4] के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 75 संविदा कैरिजों जिन्हें होटलों/निजी फर्मों ने ले रखा था, 2008-09 तथा 2011-12 के मध्य हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत थे। इन संविदा कैरिजों द्वारा भुगतान किया गया कर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर/ दैनिक संग्रहण रजिस्टर में नहीं आ रहा था। वाहन मालिकों ने भी कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं की जैसा कि हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली के नियम 17-'ए' के अंतर्गत अपेक्षित था। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने रिटर्न प्रस्तुत करवाने तथा 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए वाहन मालिकों के निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए न तो कोई कदम उठाया और न ही यात्री कर को वसूल करने के लिए वाहनों को निरूद्ध किया था।

(iv) मासिक रिर्टनों को प्रस्तुत न करना: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 23 संविदा कैरिजों ने अप्रैल 2012 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान स्वयं घोषित आधार पर ₹1.15 करोड के यात्री व माल कर को जमा किया था। तथापि, यह वाहन हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान

[3] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बद्दी: 7,450 वाहन, शिमला: 5,865 वाहन, आबकारी एवं कराधान अधिकारी नादौन (हमीरपुर): 425 वाहन तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी अम्ब (ऊना):1,555 वाहन

[4] बद्दी तथा कुल्लू ।

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे तथा इसी प्रकार उक्त नियमावली के नियम 17-'ए' के अंतर्गत मासिक रिटर्नें भी प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने इन वाहनों को पंजीकृत करवाने, आवर्तिक रिटर्न प्रस्तुत करने तथा नियम 21 के अंतर्गत उनके निर्धारण को अन्तिम रूप देने हेतु कोई कदम नहीं उठाया था। इस प्रकार, ₹1.15 करोड के यात्री व माल कर के भुगतान की यथार्थता की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं हो सकी।

(v) निरीक्षण स्टॉफ द्वारा वसूल किये गए कर का विवरण प्रस्तुत न करना: छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[5] के निरीक्षण स्टॉफ ने यात्री व माल कर का भुगतान न करने वाले 7,350 मामलों का पता लगाया था तथा उनसे ₹3.34 करोड़ वसूल किये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल संकलित विवरणियों को जैसे कि पता लगाये गए मामलों की संख्या एवं वसूल किये गए राजस्व को प्रस्तुत करने तथा मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों को अद्यतन करने के लिए उनके संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को वाहन-वार विवरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार 7,350 वाहनों के कर की स्थिति का अद्यतन नहीं किया गया था।

(vi) जाँच चौकियों/बैरियरों के प्रभारी द्वारा रिटर्न प्रस्तुत न करना: हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली के नियम 19 (2, 3 तथा 4) के अनुसार वाहन का प्रभारी व्यक्ति सम्बद्ध जिले के कर निर्धारण प्राधिकरण के कार्यालय अथवा निर्धारित किये गये प्राधिकारी अथवा जाँच चौकी/बैरियर के कार्यालय प्रभारी को कर का नकद भुगतान करेगा। जाँच चौकी/ बैरियर के प्रभारी व्यक्ति से जिले के कर निर्धारण प्राधिकारी जिसने पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया था, को आगामी मास की सातवीं तारीख से पहले प्रपत्र यात्री एवं माल कर-22 में रिटर्न भेजी जानी अपेक्षित होती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि बैरियरों/जाँच चौकियों के प्रभारियों ने वाहन मालिकों द्वारा उनके पास जमा कराये गये यात्री व माल कर की रिटर्न सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को जिनके पास वाहन पंजीकृत किये गये थे, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नहीं भेजी थी। इन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने भी ऐसी रिटर्न को नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिए सम्बद्ध बैरियरों/ जाँच चौकियों के प्रभारियों के साथ मामला नहीं उठाया। रिटर्नों को प्रस्तुत न करने के अभाव में, वाहन मालिकों द्वारा बैरियरों पर किये गए यात्री व माल कर के भुगतान की स्थिति को उनके व्यक्तिगत लेखों में दर्ज नहीं किया गया था।

(vii) रिटर्न को प्रस्तुत न करना: हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, के नियम 9-डी (4) में प्रावधान है कि अधिकृत व्यक्ति[6] प्रत्येक महीने जिले के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को प्रपत्र पी0जी0टी0-25 में महीने की समाप्ति पर, जिस महीने से संग्रहण संबंधित है, खज़ाना चालान प्रपत्र पी0जी0टी0-9 सहित एक रिटर्न तथा प्रपत्र पी0जी0टी0-21-'ए' में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा इसे प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 3-बी के अंतर्गत कोई कर भुगतान योग्य नहीं होगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, सिरमौर तथा ऊना के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि अधिसूचित की गई 296 फर्मों में से 190 फर्मों[7] ने निर्धारित की गई मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने न तो इन फर्मों को रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचनाऐं जारी की और न ही नियम 9-ई के अंतर्गत इन फर्मों के निर्धारणों को अन्तिम रूप दे

[5] बिलासपुर: 1,264 मामले, हमीरपुर: 297 मामले, शिमला: 3,008 मामले, सिरमौर: 679 मामले, सोलन: 1,630 मामले तथा ऊना: 472 मामले।

[6] एक व्यक्ति जिसे हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की धारा 4-ए के अंतर्गत कर एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

[7] सिरमौर: 109 फर्म तथा ऊना: 81 फर्म।

पाए। इस प्रकार, इन फर्मों द्वारा अतिरिक्त माल कर की चोरी की सम्भावना की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी।

5.3.2 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाहनों का पंजीकरण न करवाने के कारण माल व यात्री कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की धारा 3 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत स्टेज/संविदा कैरिज तथा माल वाहन मालिकों को निर्धारित दरों पर यात्री कर व माल कर का भुगतान किए जाने हेतु उनके वाहनों का पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास कराया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि कोई भी वाहन मालिक राज्य में अपना वाहन तब तक नहीं ला सकेगा जब तक उसके पास सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी किया गया वाहन के पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र नहीं होगा। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9-बी (5) में आगे प्रावधान है कि यदि, वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करने में विफल रहता है तो उससे शास्ति जो निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो, तथा न्यूनतम ₹500 हो, भी उद्ग्राह्य होगी।

वाहनों के पंजीकरण का कार्य पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों /क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के द्वारा संभाला जाता है तथा यात्री व माल कर का संग्रहण सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा संभाला जाता है। 26 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पंजीकरण अभिलेखों के साथ संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पंजीकरण अभिलेखों की प्रति जांच करने पर उद्घाटित हुआ कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 32,956 वाणिज्यिक वाहनों में से 12,098 वाहन नियत किये गए यात्री व माल कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे लेकिन सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत नहीं किये गए थे। सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों का सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप, इन 12,098 वाहनों के लिए ₹8.11 करोड़[8] के यात्री व माल कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, वाहनों का पंजीकरण न होने के कारण ₹0.60 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी जैसा कि निम्न **तालिका 5.2** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.2: आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास वाहनों का पंजीकरण न होने का विवरण

(₹करोड़ में)

क्रमांक	वाहन के प्रकार	मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये गए वाहनों की कुल संख्या	आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न पाए गए वाहनों की कुल संख्या	वसूली योग्य राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	न्यूनतम शास्ति (₹500/-प्रति वाहन)
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/टैक्सी)	7,030	2,003	1.23	--	1.23	0.10
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	477	209	0.23	--	0.23	0.01
3.	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन/ट्रैक्टर)	25,449	9,886	--	6.65	6.65	0.49
योग		**32,956**	**12,098**	**₹**1.46	**₹**6.65	**₹8.11**	**₹0.60**

[8] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बद्दी: ₹1.89 करोड़, बिलासपुर: ₹0.84 करोड़, हमीरपुर: ₹40.25 लाख, कुल्लू: ₹41.55 लाख, शिमला: ₹2.06 करोड़, सिरमौर : ₹0.61 करोड, सोलन: ₹1.03 करोड़ तथा ऊना: ₹0.87 करोड़।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि ₹49.14 लाख में से ₹2.92 लाख की राशि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू द्वारा 44 वाहन मालिकों से वसूल कर ली गई थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए आबकारी एवं कराधान अधिकारियों/ निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिये गए थे। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, हमीरपुर तथा शिमला ने बताया कि वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत लाए जाने के प्रयास किये जाएगें जबकि शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोई उत्तर नहीं दिया (नवम्बर 2016)।

5.3.3 माल व यात्री कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर मासिक अथवा त्रैमासिक रूप से कर एवं भाड़ा इत्यादि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली के नियम 9 (7)(ii)(सी)(i व ii) में प्रावधान है कि वाहन मालिक उस अवधि के लिए जिसके लिए वह जैसे ही अपना वाहन सडक पर चलने से बंद करता है, कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों को सूचित करेगा। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 में आगे प्रावधान है कि किसी बकाया या इस अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई शास्ति भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों से 15,442 वाहनों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 4,642 वाहनों[9] के संदर्भ में 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए ₹5.46 करोड़ की राशि के यात्री व माल कर का भुगतान इन वाहन मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। वाहन मालिकों द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने वाहन का सड़क पर उपयोग न करने के बारे तथा कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए कोई मांग भी नहीं की गई थी। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो वाहन मालिकों को यात्री व माल कर को जमा करवाने के लिए मांग सूचनाएं जारी की थी और न ही यात्री व माल कर की वसूली को भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु इन मामलों को आयुक्त को भेजा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹5.46 करोड़[10] के यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि **तालिका 5.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.3: माल व यात्री कर की गैर-वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	नमूना जांच किए गए वाहनों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया	देय कर की राशि
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	5,775	1,269	1.06
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	846	150	0.26
3.	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	8,821	3,223	4.14
योग		**15,442**	**4,642**	**5.46**

[9] बद्दी: 313 वाहन, बिलासपुर: 950 वाहन, हमीरपुर: 1,161 वाहन, कुल्लू: 420 वाहन, शिमला: 481 वाहन, सिरमौर: 449 वाहन, सोलन: 621 वाहन तथा ऊना: 247 वाहन।

[10] बद्दी: ₹42.57 लाख, बिलासपुर: ₹1.56 करोड़, हमीरपुर: ₹0.63 करोड़, कुल्लू: ₹34.79 लाख, शिमला: ₹0.57 करोड़, सिरमौर : ₹0.64 करोड़, सोलन: ₹0.97 करोड़ तथा ऊना: ₹32.34 लाख।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि ₹45.37 लाख में से ₹6.30 लाख की राशि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू द्वारा 103 वाहन मालिकों से वसूल कर ली गई थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, हमीरपुर तथा शिमला ने बताया कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किये जा रहे थे तथा देय राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

5.3.4 यात्री व माल कर की वसूली की निगरानी न करना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बद्दी तथा सोलन द्वारा अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005 से 2010 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत व नमूना जांच किये गए 2,806 यात्री व माल वाहनों में से 891 वाहन मालिक नियत दरों पर वार्षिकी रूप से यात्री व माल कर के भुगतान के उत्तरदायी थे, ने अपनी पंजीकरण की तिथि से कोई यात्री व माल कर का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने वाहन मालिकों को यात्री व माल कर का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी नहीं किये थे। इस प्रकार, 891 वाहन मालिकों से यात्री व माल कर के भुगतान की निगरानी न करने के परिणामस्वरूप ₹1.40 करोड़[11] की राशि के यात्री व माल कर की अवसूली हुई। आगे विभाग ने न तो इन वाहनों को जब्त करने और न ही चूककर्त्ताओं के नामों को भू-राजस्व के रूप में वसूली करने के लिए आयुक्त को प्रतिवेदित करने हेतु कोई कदम उठाया था।

5.3.5 अतिरिक्त माल कर

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान की धारा 3-बी में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को प्रत्येक मद के लिए निर्धारित दरों पर जो हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की अनुसूची-।। के कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, माल के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त माल कर का भुगतान प्रभार वाले व्यक्ति अथवा वाहन के चालक द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली के नियम-9-ड़ी में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट माल परिवहन हेतु प्रेषण के लिए विक्रय या प्रेषण प्राधिकृत करता है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया जाता है तो सम्बद्ध जिला कार्यालय में हिमाचल प्रदेश माल व बिक्री कर अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिले के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पंजीकृत किया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति अतिरिक्त माल कर की राशि एकत्रित करेगा तथा इस राशि को सरकारी कोष में जमा कराएगा। नियम 9-ई में आगे प्रावधान है कि निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत कर को एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 4-'ए' के अंतर्गत प्रस्तुत की गई प्रत्येक रिटर्न की महीने की समाप्ति के बाद समीक्षा करेगा तथा निर्धारण प्राधिकारी अर्ध-वार्षिकी आधार पर प्रत्येक मामले का निर्धारण करेगा। लेखापरीक्षा ने ₹69.92 करोड़ के अतिरिक्त माल कर की अवसूली/अल्प-वसूली को पाया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

[11] बद्दी: ₹17.31 लाख तथा सोलन: ₹1.23 करोड़ ।

(क) खनन अधिकारियों, सोलन तथा बिलासपुर से एकत्रित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि अतिरिक्त माल कर को एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत तीन सीमेंट कम्पनियॉं, सीमेंट तथा क्लींकर के निर्माण हेतु चूना पत्थर एवं स्लेटी पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहीं थी। इन सीमेंट कम्पनियों ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान खनन क्षेत्र से अपने सीमेंट प्लॉंट तक 1,89,48,993 मीट्रीक टन चूना पत्थर तथा 24,59,606 मीट्रीक टन स्लेटी पत्थर का प्रेषण किया जिस पर ₹68.04 करोड़ का अतिरिक्त माल कर उद्ग्राहय था।

यह फर्में अपने प्राधिकरण से नियमित रूप से अतिरिक्त माल कर की रिटर्न प्रस्तुत कर रहीं थी परन्तु हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त माल कर को जमा नहीं करवाया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने न तो मासिक रिटर्नों की संवीक्षा की और न ही अर्ध-वार्षिक आधार पर उनके निर्धारणों को अंतिम रूप दिया इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त माल कर की अवसूली के कारण ₹68.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(ख) खनन अधिकारी, सिरमौर से एकत्रित की गई सूचना की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान चूना पत्थर को निकालने के लिए खनन क्षेत्र सतौन एवं कमराहो में 16 पट्टाधारकों को पट्टे अनुमत किये गये थे। इन पट्टाधारकों ने 11,20,768 मीट्रीक टन चूना पत्थर को निकाला जिस पर ₹3.92 करोड़ का अतिरिक्त माल कर वसूल किया जाना अपेक्षित था। इन पट्टाधारकों को नियम 9-डी के अंतर्गत अतिरिक्त माल कर को एकत्रित करने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था तथा यह पट्टाधारक अतिरिक्त माल कर को बहुउद्देशीय बैरियर (एम0पी0बी0), राजबन जो कि इन खनन क्षेत्रों के लिए एक मात्र बैरियर था, में जमा करवा रहे थे। तथापि, बहुउद्देशीय बैरियर, राजबन ने उसी अवधि के दौरान ₹2.11 करोड़ के अतिरिक्त माल कर को वसूल किया हुआ दर्शाया था। इसके परिणामस्वरूप पट्टाधारकों से ₹1.81 करोड़ के अतिरिक्त माल कर की अल्प-वसूली हुई।

(ग) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 2014-15 के दौरान ठेकेदार से 77,068.14 मीट्रीक टन स्लेटी पत्थर के क्रय पर एक फर्म ने अतिरिक्त माल कर का भुगतान किया। तथापि, खनन अधिकारी, बिलासपुर के अभिलेख वास्तव में 1,74,166 मीट्रीक टन स्लेटी पत्थर की खुदाई दर्शाते हैं। इस प्रकार, फर्म ने 97,097.66 मीट्रीक टन स्लेटी पत्थर पर ₹6.80 लाख के अतिरिक्त माल कर का कम भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त माल कर का भुगतान न करने के लिए ₹13.60 लाख की शास्ति भी उदग्राहय थी। उद्योग विभाग, जिसको ठेकेदार स्लेटी पत्थर की खुदाई पर रॉयल्टी का भुगतान कर रहा था, वास्तविक की गई स्लेटी पत्थर की खुदाई की मात्रा की पुष्टि करने तथा अतिरिक्त माल कर की चोरी का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया था।

5.3.6 निष्कर्ष

अप्रर्याप्त प्रर्वतन के साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों का निष्कृष्ट अनुरक्षण एवं आबकारी एवं कराधान विभाग का मोटर वाहन पंजीकरण प्राधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण सभी वाणिज्यिक वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹84.90 करोड़ के राजस्व का अनुद्ग्रहण/अल्प उद्ग्रहण हुआ।

5.4 सांकेतिक कर की अवसूली

विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए 11,018 वाहनों के संदर्भ में ₹4.09 करोड़ के सांकेतिक कर की न तो मांग की गई और न ही इन वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत वाहन मालिकों द्वारा सांकेतिक कर (टोकन टैक्स) का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप में निर्धारित तरीके से अग्रिम में किया जाना है। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 मार्च 2012 के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए कर की विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1974 के नियम 4-'ए' के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अंदर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर के अतिरिक्त देय कर की 25 *प्रतिशत* वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा।

28 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[12] तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[13] के सांकेतिक कर रजिस्टरों एवं 'वाहन' सॉफ्टवेयर में अनुरक्षित डाटा की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि नमूना जांच किये गये 21,894 वाहनों के अभिलेखों में से 11,018 वाहनों के सम्बन्ध में 2012-13 से 2014-15 वर्षों हेतु ₹4.09 करोड़ के सांकेतिक कर की राशि को वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं करवाया गया था। चूककर्ताओं से कर वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹4.09 करोड़ के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई, जैसा कि नीचे **तालिका 5.4** में विवरण दिया गया है।

तालिका 5.4: सांकेतिक कर का भुगतान न करने वाले वाहनों का विवरण

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के नाम	अवधि	वाहनों जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया/नमूना जांच किए गए वाहनों की कुल संख्या	वसूली योग्य राशि (₹ करोड में)
1	निजी स्टेज कैरिज बस/मिनी बस/मैक्सी कैब/टैक्सी **(यात्री वाहन)**	**पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों** बंजार, चुराह, धर्मशाला, डलहौली, घुमारवीं, हमीरपुर, जयसिंहपुर, ज्वाली, कुल्लू, पांवटा साहिब, सुन्दरनगर, सोलन, शिमला (शहरी), तथा ऊना **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों** बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, नाहन, सोलन तथा ऊना	2012-13 से 2014-15	508/1,625 1,814/3,324	0.97 0.74
योग-ए				**2,322/4,949**	**1.71**
2	भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर(वाणिज्यिक) **(माल वाहन)**	**पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों** आनी, बैजनाथ, भरमौर, चम्बा, चुवाड़ी, चुराह, धर्मशाला, डलहौजी, घुमारवीं, जयसिंहपुर, ज्वाली, करसोग, काजा, कुल्लू, नादौन, नाहन, नालागढ, निचार, नूरपुर, पांवटा साहिब, पुहू, शिमला (शहरी), सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना एवं **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों** बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, सोलन तथा ऊना		7,180/14,220 1,188/2,015	1.75 0.27

[12] **पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों** –आनी, बैजनाथ, भरमौर, चम्बा, चुवाड़ी, चुराह, धर्मशाला, डलहौजी, घुमारवीं, हमीरपुर, जयसिंहपुर, जोगिन्द्रनगर, ज्वाली, करसोग, काज़ा, कुल्लू, नादौन, नाहन, नालागढ, निचार, नूरपुर, पांवटा साहिब, पूह, शिमला (शहरी), सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना।

[13] **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों** - बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, सोलन तथा ऊना।

3	निर्माण उपकरण वाहन	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों-कुल्लू, पांवटा साहिब, ठियोग, तथा ऊना एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों- बिलासपुर, चम्बा, कुल्लू तथा सोलन		328/710	0.36
योग-बी				**8,696/16,945**	**2.38**
योग-ए +बी				**11,018/21,894**	**4.09**

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि छः पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी[14] ने 242 वाहनों के सम्बंध में ₹23.93 लाख के सांकेतिक कर की वसूली कर ली थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष कराधान प्राधिकारियों ने (जनवरी 2016) सूचित किया कि चूककर्त्ताओं को कर जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किये जाएगें।

सरकार को मामला जून 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

5.5 प्रयोक्ता प्रभारों को कम जमा करवाना

ई-गवर्नेन्स समितियों ने प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹43.02 लाख एकत्रित किये जिसका ₹10.76 लाख सरकारी खाते में जमा करवाना अपेक्षित था जिसमें से मात्र ₹1.79 लाख ही जमा किये गए थे तथा ₹8.97 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 03 सितम्बर 2005 की अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों के कार्यालयों में समस्त परिवहन सम्बंधी गतिविधियों के कम्प्यूट्रीकरण हेतु परिवहन निदेशालय स्तर पर और प्रत्येक जिला स्तर पर एक ई-गवर्नेन्स समिति के गठन को अनुमोदित किया था। ये ई-गवर्नेन्स समितियां सितम्बर 2005 से सम्बंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। समितियां सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोक्ता प्रभारों का संग्रहण करती हैं तथा इन प्रभारों का 25 *प्रतिशत* सरकारी खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित हैं।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर तथा दो पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[15] के सेवा प्रभार संग्रहण रजिस्टरों की नमूना जांच की तथा पाया कि ई-गवर्नेन्स समितियों ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹43.02 लाख एकत्रित किये। तथापि, प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में एकत्रित प्राप्तियों का 25 *प्रतिशत* ₹10.76 लाख के स्थान पर मात्र ₹1.79 लाख को सरकारी खाते में जमा करवाया गया परिणामस्वरूप, ₹8.97 लाख[16] सरकारी खाते से बाहर रहे।

इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि ₹8.97 लाख में से ₹2.77 लाख की राशि को पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी, हमीरपुर द्वारा जमा करवा दिया गया था तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी, रामपुर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

---

[14] पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी-घुमारवीं: 142 वाहन: ₹10.60 लाख, कुल्लू: एक वाहन: ₹11,000, नाहन: छः वाहन: ₹12,500, नालागढ: 26 वाहन: ₹90,000, निचार: 17 वाहन: ₹35,875, पांवटा साहिब: 38 वाहन: ₹11.46 लाख तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कांगडा: 12 वाहन: ₹37,670 ।

[15] पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी- हमीरपुर तथा रामपुर ।

[16] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर: ₹4.60 लाख, पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी- हमीरपुर: ₹2.77 लाख तथा रामपुर: ₹1.60 लाख ।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

5.6 विशेष पथ कर की अवसूली/अल्प-वसूली

विशेष पथ कर ₹1.53 करोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम, निजी स्टेज कैरिजों तथा अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों से वसूल नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-'क' के अंतर्गत राज्य में प्रयुक्त अथवा प्रयोग हेतु रखे गए सभी परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार मासिक रूप से विशेष पथ कर का उद्ग्रहण करेगी। इसका भुगतान निर्धारित दरों[17] पर प्रत्येक मास की 15 वीं तारीख तक अग्रिम रूप में किया जाएगा। परिवहन विभाग की 31 जुलाई 2002 से लागू मानी गई दिनांक 26 जुलाई 2006 की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय विशेष पथ कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी देय कर के 25 *प्रतिशत* वार्षिक दर से वाहन मालिक को शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा। आगे, अधिनियम की धारा 14 (2) में विशेष पथ कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है यदि पंजीकृत मालिक कराधान प्राधिकारी को पहले ही लिखित में सूचना देता है कि एक निश्चित अवधि के लिए उसका मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान में प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा उस मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र परमिट सहित संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के पास जमा करवाता है ।

5.6.1 हिमाचल पथ परिवहन निगम पर उदग्रहण योग्य विशेष पथ कर का अल्प-निर्धारण

(क) तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्टेज कैरिजों के संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी/नवीकृत किये गए 15 रूट परमिटों को विशेष पथ कर के निर्धारण करने के लिए गणना में नहीं लिया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि विशेष पथ कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने का दावा करने के लिए इन रूट परमिटों को पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के साथ संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास अभ्यर्पण किया गया था। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष पथ कर निर्धारण विवरणियों की संवीक्षा के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इस अनियमितता का पता लगाने में विफल रहे। इस प्रकार, ₹32.93 लाख[18] का विशेष पथ कर निर्धारण से छूट गया।

(ख) दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[19] की हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाईयों द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष पथ कर निर्धारण विवरणियों एवं रूट परमिटों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान 11 मामलों में विशेष पथ कर की गणना रूट परमिट के अनुसार अथवा रूट परमिटों के अनुसार तय की गई दूरी के अनुसार नहीं की गई थी तथा विशेष पथ कर की निर्धारण विवरणियों को सही मान लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹19.40 लाख[20] के विशेष पथ कर का अल्प-निर्धारण हुआ।

---

[17] विशेष पथ कर की दरें मार्गों जिन पर वाहन चलाये जा रहे हैं जैसे कि उच्चमार्ग, राज्य उच्चमार्ग, ग्रामीण सड़कें तथा 30 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली स्थानीय बसों/मिनी बसों के वर्गीकरण पर आधारित होगी। 01 अप्रैल 2005 से उपरोक्त मार्गों हेतु विशेष पथ कर की दरें क्रमश: ₹6.04, ₹5.03 तथा ₹4.03 प्रति-सीट प्रति किलोमीटर है।

[18] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी- मण्डी: पांच रूट: ₹9.87 लाख, शिमला: पांच रूट: ₹14.70 लाख तथा सोलन: पांच रूट: ₹8.36 लाख

[19] शिमला तथा सोलन ।

[20] हिमाचल पथ परिवहन निगम -शिमला: ₹6.89 लाख तथा सोलन: ₹12.51 लाख।

5.6.2 निजी स्टेज कैरिज

छ: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[21] के विशेष पथ कर के रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 93 मामलों में 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के लिए ₹1.18 करोड़ की राशि का विशेष पथ कर निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से वसूली योग्य था। परन्तु विभाग मात्र ₹0.50 करोड़ ही वसूल कर सका तथा विशेष पथ कर की शेष राशि ₹0.68 करोड़, मार्च 2016 तक बिना वसूली के पड़ी हुई थी। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि विशेष पथ कर की शेष राशि को वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई पहल की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹0.68 करोड़ के विशेष पथ कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर ₹17.00 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

विभाग तथा सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

5.6.3 अन्य राज्यों की स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर का अल्प-निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 3-'क' की उप-धारा 4 के अनुसार यदि हिमाचल प्रदेश राज्य से भिन्न किसी राज्य में पंजीकृत परिवहन वाहन राज्य में प्रवेश करता है और किसी भी सार्वजनिक सड़क पर चलाया जाता है अथवा राज्य में प्रयोग किये जाने के लिए रखा जाता है, तो ऐसे प्रवेश पर निर्धारित रूप में विशेष पथ कर प्रभार्य होगा। अन्य राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी रूट परमिटों, जोकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन उपयोग में लाया जा रहा है, द्वारा यथावत् प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो, के आधार पर हिमाचल प्रदेश में तय की गई संपूर्ण दूरी पर अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों के सम्बंध में विशेष पथ कर भी लागू और प्रभार्य होगा।

दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[22], के कार्यालय में 2014-15 के लिए अनुरक्षित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रूट परमिटों तथा विशेष पथ कर पंजिकाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 22 मामलों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर चल रहे अन्य राज्य के स्टेज कैरिजों[23] द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार विशेष पथ कर का निर्धारण सही प्रकार से नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों के मालिकों से ₹32.51 लाख के विशेष पथ कर की अल्प वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट-III** में विवरण दिया गया है।

विभाग तथा सरकार को मामला अक्तूबर तथा दिसम्बर 2015 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

[21] कुल्लू: तीन मामले: ₹3.10 लाख, मण्डी: छ: मामले: ₹1.68 लाख, नाहन (सिरमौर): 20 मामले: ₹9.71 लाख, शिमला: 27 मामले: ₹22.12 लाख, सोलन: 17 मामले: ₹25.28 लाख तथा ऊना: 20 मामले: ₹6.12 लाख।

[22] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी- मण्डी: सात मामले: ₹6.57 लाख तथा सोलन: 15 मामले: ₹25.94 लाख।

[23] हरियाणा रोड़वेज: चार परमिट, पंजाब रोड़वेज: तीन परमिट तथा चण्ड़ीगढ़ परिवहन उपक्रम: 15 परमिट ।

अध्याय -VI
वन प्राप्तियां

अध्याय-VI
वन प्राप्तियां

6.1 कर प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का प्रमुख है जिसे 37 क्षेत्रीय मण्डलों में आठ वन अरण्यपालों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों के द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन कार्यकलापों के दोहन एवं पुनरूत्पति का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015-16 के दौरान वन प्राप्तियों से संबंधित 35 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 108 मामलों में ₹43.81 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली, ब्याज/विस्तृत फीस का अनुद्ग्रहण, जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/ हानि तथा अन्य अनियमितताएं पायी गई जो निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत नीचे **तालिका 6.1** में दर्शाई गई है:

तालिका 6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली	27	15.71
2.	ब्याज/ विस्तृत फीस का अनुद्ग्रहण	18	1.06
3.	जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि	18	3.16
4.	अन्य अनियमितताएं	45	23.88
योग		**108**	**43.81**

विभाग ने वर्ष के दौरान 21 मामलों में ₹2.75 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिसमें से 14 मामलों में ₹30.14 लाख की राशि वसूल की गई जोकि विगत वर्षों से संबंधित है।

₹11.65 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आवश्यक मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों मे चर्चा की गई है।

6.3 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन

विभाग के विभिन्न डिपुओं में निपटान के लिए पड़ी 539.2254 घनमीटर आयतन की इमारती लकड़ी के गैर-निपटान के परिणामस्वरूप ₹33.70 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹2.79 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में अधिग्रहण योग्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को या तो सपुरदार[1] की सपुर्दगी (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा प्रपत्र-17 में लेखाबद्ध करने के पश्चात् संबंधित क्षेत्रीय स्टॉफ के पास रखा जाना चाहिए। इस

[1] एक लम्बरदार या उस स्थान का कोई विश्वसनीय व्यक्ति!

प्रकार लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/वन उत्पाद का निपटारा या तो अपराध प्रशमन होने अथवा न्यायालय के निर्णय के उपरान्त किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निदेश दिये (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की सपुर्दगी अत्यधिक लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहां संबंधित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय को कम करने तथा अपकर्ष (खराब होना)/चोरी से बचाव के लिए 15 दिनों के भीतर जब्त सम्पत्ति की नीलामी करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए।

बारह वन मण्डलों की इमारती लकड़ी के प्रपत्रों की अप्रैल 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 40 वन परिक्षेत्रों में विभाग ने ₹33.70 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹2.79 करोड़[2] मूल्य की 539.2254 घन मीटर परिमाप की इमारती लकड़ी (2011-12 तथा 2014-15 के मध्य) जब्त की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे यह भी उद्घाटित हुआ कि जब्त की गई इमारती लकड़ी विभाग के विभिन्न डिपुओं में बिना किसी अभिलेख के रखा होना यह दर्शाता है, कि क्या संबंधित वन अधिकारियों/जांच अधिकारियों ने जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु कोई ठोस कदम उठाए थे अथवा न्यायालय के आदेशों को प्राप्त किया गया था। अत: जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व का न केवल अवरोधन हुआ बल्कि इसकी निगरानी करने पर व्यय तथा इमारती लकड़ी का आगे क्षय भी हुआ।

विगत चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹6.94 करोड़[3] के मूल्य की जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने को विशिष्टता से दर्शाने के बावजूद भी विभाग ने जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटानार्थ कोई सरल व कारगर प्रक्रिया अमल में नहीं लाई।

इसे इंगित किए जाने पर, वन मण्डल अधिकारी, नाचन ने सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि ₹47.24 लाख में से ₹2.21 लाख को वसूल कर लिया गया था तथा सरकारी खज़ाने में जमा करवा दिया था। वन मण्डल अधिकारियों, मण्डी तथा ठियोग ने बताया कि जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु प्रयास किये जा रहे थे। शेष वन मण्डल अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया था।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

6.4 रॉयल्टी दरों में गलत दर लागू करने के कारण रॉयल्टी की अल्प-वसूली

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा रॉयल्टी के लिए गलत दरों को लागू करने के कारण ₹8.30 करोड़ की रॉयल्टी की अल्प-वसूली हुई।

मूल्यांकन समिति ने मई 2011 में पाया कि सड़कों का नेटवर्क राज्य के प्रत्येक कोने तक पहुंच चुका है तथा मूल्यवान एवं दूरवर्ती स्थानों तथा विशेष कर पहाड़ी इलाकों के परिमापों को इमारती लकड़ी के दोहन कार्य के लिए लागू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि

[2] आनी : आयतन: 45.888 घनमीटर: ₹17.70 लाख, बिलासपुर: आयतन: 41.4436 घनमीटर: ₹13.60 लाख, देहरा: आयतन: 14.2993 घनमीटर: ₹3.83 लाख, किन्नौर: आयतन: 40.7840 घनमीटर: ₹25.10 लाख, करसोग: आयतन: 61.241 घनमीटर : ₹29.33 लाख, मण्डी: आयतन: 75.084 घनमीटर: ₹40.85 लाख, नाचन स्थित गोहर: आयतन: 91.097 घनमीटर : ₹53.74 लाख, रेणुका: आयतन: 40.922 घनमीटर: ₹19.37 लाख, सिराज: आयतन: 12.435 घनमीटर: ₹7.59 लाख, शिमला: आयतन: 4.715 घनमीटर: ₹2.20 लाख, सोलन: आयतन 1.1095 घनमीटर: ₹0.71 लाख, तथा ठियोग: आयतन: 110.207 घनमीटर: ₹64.74 लाख।

[3] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन : 2011-12 : ₹2.27 करोड़, 2012-13: ₹1.42 करोड़, 2013-14: ₹0.78 करोड़ तथा 2014-15: ₹2.47 करोड़।

लकड़ी की प्रत्येक किस्म के लिए रॉयल्टी की दरें पूरे राज्यभर में एक समान दरों पर ही भुगतानयोग्य होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वन मण्ड़लों[4] में वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान *देवदार, कायल, चीड़, रई/फर* तथा चौड़ी पत्तियों वाली प्रजाति के 57,488.75 घनमीटर के स्थिर आयतन युक्त इमारती लकड़ी के 68 लॉट्स हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को दोहनार्थ सौंपे गये थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने मूल्यानुसार एकल दर से भुगतान योग्य ₹14.28 करोड़ की राशि के बजाए दूरवर्ती इलाकों के विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू दरों के अनुसार परिकलन करके वन विभाग को ₹5.98 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा गलत रॉयल्टी दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹8.30 करोड़ की रॉयल्टी की अल्प-वसूली हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य अग्रेषित किया गया था; उत्तर अभी प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

6.5 वृक्षों की लागत की अवसूली/अल्प-वसूली

विभाग ने परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 536 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 257.434 घनमीटर था, की लागत ₹32.50 लाख को प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल नहीं किया था।

सितम्बर, 1991 के विभागीय निर्देशों के अनुसार गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए अपवर्तित/ स्थानांतरित वन भूमि पर खड़े वृक्षों की लागत उन एजेंसियों से जिनके पक्ष में भूमि का स्थानांतरण किया जाना है, उन्हे क्षेत्र सौंपने से पहले प्रचलित बाजारी दरों पर वसूल की जानी है। लेखापरीक्षा में निम्न पाया गया:

(क) वन मण्डल अधिकारी, किन्नौर के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 20 मेगा वॉट रौरा-II लघु जलविद्युत परियोजना के निर्माण हेतु एजेंसी के पक्ष में 4.8951 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन की मंजूरी अगस्त 2012 में प्रदान की गई। विभिन्न प्रजातियों के 165 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 77.71 घनमीटर तथा लागत ₹20.43 लाख थी, परियोजना क्षेत्र में आ रहे थे। यह लागत एजेंसी से वसूल की जानी थी। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि प्रयोक्ता एजेंसी को कोई दावा भेजा गया हो। इसके परिणामस्वरूप ₹20.43 लाख के सरकारी राजस्व की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹2.81 लाख का मूल्य वर्धित कर भी उद्ग्राहय था।

(ख) वन मण्डल अधिकारी, शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि कार्यालय भवन/कार पार्किंग/ सड़क के निर्माण हेतु विभिन्न एजेंसियों[5] के पक्ष में 2.9680 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन की मंजूरी नवम्बर, 2010, सितम्बर 2011 तथा मई 2012 में प्रदान की गई थी। विभिन्न प्रजातियों के 371 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 179.724 घनमीटर तथा लागत ₹50.70 लाख थी, परियोजना क्षेत्र में आ रहे थे। विभाग ने यद्यपि मात्र ₹41.44 लाख ही वसूल

[4] आनी: 35 लॉट्स: 25,084.86 घन मीटर: ₹2.25 करोड़, चौपाल: 27 लॉट्स: 28,087.71 घन मीटर: ₹5.44 करोड़ तथा किन्नौर: छ: लॉट्स: 4,316.189 घन मीटर: ₹0.61 करोड़ ।

[5] ई0 एन0 सी0 भवन, शिमला के निर्माण हेतु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका शौचालय, छोटा-शिमला के नजदीक कार पार्किंग के निर्माण के लिए नगरपालिका, शिमला तथा एवर-सनी-गोलचा-भौंट सड़क, शिमला के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।

किये परिणामस्वरूप मूल्य वर्धित कर ₹1.12 लाख सहित ₹9.26 लाख के राजस्व की अल्प-वसूली हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

6.6 विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को दोहनार्थ सौंपे गए इमारती लकड़ी के 36 लॉट्स की पट्टावधि को ₹17.20 लाख की विस्तार फीस की मांग किये बिना बढ़ाया गया।

इमारती लकड़ियों/वृक्षों के दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के साथ मानक पट्टा विलेख अनुबंध के खंड-3 के अनुसार, निगम को पट्टा अवधि की समाप्ति पर ऐसे वृक्षों जो कि पट्टे पर दिये गए वन में खड़े बचे थे, गिरे हुए वृक्षों तथा पट्टे पर दिये गए वन से हटाए नहीं गए, बिखरे हुए/दाव पर लगी इमारती लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं होगा। आगे मूल्य निर्धारण समिति के सितम्बर 2007 के निर्णय के अनुसार पट्टा अवधि के बाद कार्यावधि के विस्तार के लिए कुल रॉयल्टी, चाहे उसका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, का 0.2 *प्रतिशत* प्रति मास की दर पर विस्तार फीस उद्ग्राह्य होगी।

दो वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि मई 2008 तथा मार्च 2015 को समाप्त पट्टा अवधि के दौरान इमारती लकड़ी के 36 लॉट्स, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को दोहनार्थ सौंपे गए थे। इन लॉट्स का संदोहन कार्य, पट्टावधि के भीतर पूर्ण नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने सॉलवेज लॉट्स की कार्यावधि में विस्तार की मांग की, जिसकी संबंधित वन मण्ड़ल अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, ₹17.20 लाख[6] की विस्तार फीस की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका भुगतान किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर वन मण्ड़ल अधिकारी, ठियोग ने (सितम्बर 2015) सूचित किया कि ₹10.18 लाख की विस्तार फीस का बिल डिवीजनल मैनेजर, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को भेज दिया गया था जबकि वन मण्ड़ल अधिकारी, सिराज़ ने बताया कि विस्तार फीस का समाधान करने के बाद वसूली कर ली जाएगी।

विभाग तथा सरकार को मामला जून तथा सितम्बर 2015 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

6.7 वृक्षों का अवैध कटान

वन प्राधिकारियों के अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का शीघ्र पत्ता लगाने तथा उनकी रिपोर्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप 22.90 घनमीटर आयतन वाले 91 वृक्षों को जब्त न करने से ₹0.80 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹6.66 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग में वन अपराधों के निपटान के संबंध में राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार गश्ती वन रक्षक अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के संबंध में एक क्षति रिपोर्ट शीघ्र तैयार

[6] वन मण्ड़ल अधिकारी-सिराज स्थित बन्जार : आठ लॉट्स: ₹5.76 लाख तथा ठियोग: 28 लॉट्स: ₹11.44 लाख ।

करेगा तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी मामलों की जांच करेगा तत्पश्चात् क्षतिपूर्ति के निर्धारण अथवा अभियोजन की स्वीकृति हेतु वन मण्डल अधिकारी को प्रेषित करेगा। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2004 के प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश के अनुदेशों के अनुसार खण्ड अधिकारी/क्षेत्रीय वन अधिकारी से समय-समय पर वनों का निरीक्षण किया जाना तथा अवैध कटान के प्रति प्रभावी कदम उठाने एवं कार्रवाई करने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को मामला सूचित किया जाना अपेक्षित है। इन मामलों को पुलिस के पास पंजीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने वन मण्ड़ल अधिकारी, चुराह में "अपराध मामलों के रजिस्टर" में पाया (दिसम्बर 2015) कि 22.90 घन मीटर के आयतन के विभिन्न प्रजातियों के 91 खड़े वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया तथा उन्हें अपराधियों द्वारा चुरा लिया गया। तथापि, इन अपराधों में से किसी भी मामले में न तो क्षति रिपोर्ट जारी की गई और न ही कोई प्राथमिकी रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज करवाई गई। इन अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का अपराध करने के तुरन्त बाद क्षेत्रीय स्टॉफ द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार अपराधों का समय पर पता न लगाने तथा रिपोर्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप 22.90 घनमीटर आयतन वाले वृक्षों को जब्त न करने से ₹0.80 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹6.66 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला जनवरी 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक : 21 फरवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 23 फरवरी 2017

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

संदर्भित परिच्छेद: 2.5- अमान्य, डुप्लीकेट एवं त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति

इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष/ निर्धारण की तिथि	निर्धारितियों की सकल कुल बिक्री	अमान्य प्रपत्र- 'सी' की सकल कुल बिक्री पर उद्ग्राहय कर की अंतर राशि	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19(i) के अंतर्गत उद्ग्राहय ब्याज	योग	प्रपत्रों की अस्वीकृति के कारण
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी	2010 21.05.14	398,25,81,967	3,41,340	3,10,619	6,51,959	प्रपत्र-'सी' की तीन प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
	2010-11 24.03.15	355,42,72,009	89,223	81,193	1,70,416	तीन प्रपत्रों पर गलत पता था
	2010-11 19.11.14	146,92,93,577	3,45,080	3,14,023	6,59,103	तीन प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
योग	**3 मामले**	**900,61,47,553**	**7,75,643**	**7,05,835**	**14,81,478**	**9 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन	2009-10 16.01.15	5,02,66,868	5,40,365	5,16,049	10,56,414	तीन प्रपत्रों पर गलत पता था।
	2006-07 26.03.15	1,40,76,449	3,85,760	5,76,711	9,62,472	नौ प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
	2012-13 09.04.14	60,97,13,859	3,35,935	1,39,413	4,75,348	चार प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी ।
	2010-11 11.03.15	3,18,53,605	1,36,069	1,05,453	2,41,522	एक प्रपत्र की डुप्लीकेट प्रति थी।
योग	**4 मामले**	**70,59,10,781**	**13,98,129**	**13,37,626**	**27,35,756**	**17 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नूरपुर	2010-11 28.08.14	18,26,19,688	6,67,864	5,87,721	12,55,585	एक प्रपत्र की डुप्लीकेट प्रति थी तथा पांच प्रपत्रो की प्रतिपर्ण प्रतियां थी ।
	2011-12 29.11.14	21,92,99,558	7,18,266	5,02,786	12,21,052	दो प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
	2011-12 29.11.14	11,43,68,275	61,765	43,236	1,05,001	एक प्रपत्र की डुप्लीकेट प्रति थी।
	2011-12 15.07.14	1,82,61,319	16,519	11,564	28,083	चार प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
योग	**4 मामले**	**53,45,48,840**	**14,64,414**	**11,45,307**	**26,09,721**	**13 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला	2011-12 30.10.14	49,41,91,183	39,065	26,760	65,825	तीन प्रपत्रों की छाया-प्रतियां थी।
योग	**1 मामला**	**49,41,91,183**	**39,065**	**26,760**	**65,825**	**3 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन	2012-13 16.04.14	59,29,40,915	3,90,964	2,15,030	6,05,994	चार प्रपत्रों पर गलत पता था
	2009-10 31.12.14	35,96,44,498	4,33,402	4,72,408	9,05,810	एक प्रपत्र की डुप्लीकेट प्रति थी.
योग	**2 मामले**	**95,25,85,413**	**8,24,366**	**6,87,438**	**15,11,804**	**5 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	2008-09 28.10.14	1,48,30,495	25,127	28,519	53,646	पांच प्रपत्रों पर गलत पता था।
	2009-10 20.11.14	3,03,05,138	2,62,914	2,51,083	5,13,997	पांच प्रपत्रों पर गलत पता था।
योग	**2 मामले**	**4,51,35,633**	**2,88,041**	**2,79,602**	**5,67,643**	**10 प्रपत्र**
सकल योग	**16 मामले**	**1,173,85,19,404**	**47,89,659 ₹47.90 लाख**	**41,82,568 ₹41.83 लाख**	**89,72,227 ₹89.72 लाख**	**57 प्रपत्र**

परिशिष्ट-II

संदर्भित परिच्छेद: 4.3.1- "सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली" की प्रक्रिया

सरकारी भूमि की सूची का अनुरक्षण	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 9 के अनुसार लोक उद्देश्यों के लिए उपार्जित भूमि, *नाजूल भूमि* तथा प्रत्येक जिलों में लगाए गए शिविर मैदानों की भूमि को छोड़कर, सरकारी भूमि की एक सूची आयुक्त द्वारा अनुरक्षित की जाएगी तथा वह प्रति वर्ष निर्धारित प्रपत्र/रजिस्टर में इसकी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा ।
पात्र व्यक्ति/ संस्थानों	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 6 में प्रावधान है कि (**i**) राज्य सरकार द्वारा आरक्षित एवं सीमांकित संरक्षित वनों और इन निमित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सरकारी भूमि को पात्र व्यक्तियों /संस्थानों को पट्टे पर दिया जाएगा तथा (**ii**) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान एवं उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 3 तथा हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अनुसार सरकार में निहित भूमि में से राज्य के विकास के हित में, यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए उसके पास प्रर्याप्त कारण है, किसी भी व्यक्ति को भूमि पट्टे पर दी जा सकेगी ।
प्रयोजनों जिसके लिए सरकारी भूमि को पट्टे पर दिया जा सकता है।	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 4 में प्रावधान है कि सरकारी भूमि को पैट्रोल पम्पों को लगाने के लिए; शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके विस्तार के लिए; भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं; आइ0 आर0 ड़ी0 पी0 से संबंधित व्यक्तियों; जन हित में राज्य के विकास के लिए साक्षरता, वैज्ञानिक और पूर्त-प्रयोजनों के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी, की स्थापना के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है ।
पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की संस्वीकृति	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम,1993 के नियम 7 में प्रावधान किया गया है कि पट्टे की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के लिए जैसे वह ठीक समझे, दी जाएगी। बशर्ते कि किसी भी मामले में भूमि के पट्टे की अवधि 99 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।
पट्टे राशि का निर्धारण एवं उद्ग्रहण	नियम 8(1) में प्रावधान है कि पट्टा राशि (विद्यमान नए या नवीकृत पट्टे) पात्र संस्थानों एवं व्यक्तियों से, जैसा भी मामला हो, पट्टे पर दी गई भूमि के उच्चतम बाजारी मूल्य अथवा पांच वर्षों के औसत बाज़ारी मूल्य का दोगुना, जो भी कम हो, के पांच/आठ/18 *प्रतिशत* लागू दर के अनुसार पट्टा राशि प्रतिवर्ष प्रभारित की जाएगी ।
एक-मुश्त राशि के आधार पर सरकारी भूमि को प्रदान करना	नियम 8(2) में भी प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी पट्टांतारित भूमि का उच्चतम बाजारी मूल्य अथवा पांच वर्षों के औसत बाजारी मूल्य का दोगुना मूल्य, जो भी कम हो, एक-मुश्त राशि प्रभारित कर सकता है और उस अवधि के लिए जिस पर कि भूमि पट्टे पर दी गई है, के लिए एक रूपये प्रति मास टोकन पट्टा राशि के रूप में प्रभारित कर सकता है ।
पट्टे की अवधि	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 15 में प्रावधान किया गया है कि किसी मामले या मामलों की श्रेणी के लिए अवधि नियत करने के विशेष आदेशों की अनुपस्थिति में नियम 9 के अंतर्गत अनुपयुक्त किये गए पट्टे की अवधि अनुपयुक्त की गई भूमि के प्रयोजन के संदर्भ में इसे कृषि के अंतर्गत लाने के लिए अपेक्षित पूंजी और समय तथा इसी प्रकार की अन्य बातों को ध्यान में रखकर नियत की जाएगी ।
पट्टा निष्पादित करना तथा भूमि का कब्जा प्रदान करना	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 18 तथा 2013 के नियम 13 में प्रावधान किया गया है कि जब पट्टा संस्वीकृत कर दिया गया है, उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टे पर दी गई संस्वीकृति के छः महीनों के भीतर प्रपत्र-'बी' में पट्टे को निष्पादित करेगा या करवायेगा। आवेदनकर्त्ता को भूमि का कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पट्टा निष्पादित नहीं कर दिया जाता।
दरें एवं उपकर	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 19 में प्रावधान किया गया है कि एक पट्टाधारी प्रत्येक मामले में भूमि पर प्रभार्य समस्त दरों एवं उपकरों को पट्टे पर दी गई भूमि के बारे में तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अध्याय-VIII के अंतर्गत सभी प्रभारों (शास्ति के इलावा) किसी भी समय उदगृहित करने के लिए सरकार से प्रसंविदा करेगा ।
पट्टे को निरस्त करना	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 20 तथा 2013 के नियम 15 में प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदनकर्त्ता पट्टे के निष्पादन के छः महीने के भीतर भूमि का कब्जा लेने में विफल रहता है, अथवा यदि वह किसी समय किन्हीं शर्तों की अनुपालना करने में विफल रहता है, तो समाहर्ता पट्टे को रद्द करेगा तथा इस तथ्य को सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदित करेगा ।
पट्टे की समाप्ति पर प्रक्रिया	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 25 तथा 2013 के नियम 18 में प्रावधान किया गया है कि (i) पट्टे के अवसान पर सरकार सम्पूर्ण भूमि या इसके किसी भाग को पुर्नग्रहण कर सकेगी । (ii) ऐसे पुर्नग्रहण की विफलता पर पट्टेधारी भू-राजस्व की राशि, भाड़ा अथवा पट्टा राशि के बारे में ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिसे सक्षम प्राधिकारी अवधारित करे, पट्टे का नवीकरण करवाने का हकदार होगा ।

परिशिष्ट- III

संदर्भित परिच्छेद: 5.6.3 "अन्य राज्यों की स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण"

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के नाम	रूट का नाम	एकल ट्रीप में तय की गई दूरी किलोमीटर में	विशेष पथ कर का प्रति मास निर्धारित किया जाना अपेक्षित (₹ में)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा वास्तव में प्रति मास निर्धारित किया गया विशेष पथ कर (₹ में)	विशेष पथ कर की राशि का अल्प निर्धारण (₹ में)	2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के लिए वसूली योग्य विशेष पथ कर की कुल राशि
मण्ड़ी	चण्ड़ीगढ़ -मनाली= 6 एस0 टी0 दिल्ली-मनाली=2 एस0 टी0	एन0 एच0=236×8=1888 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =8	2,40,089	2,29,916	10,173	2,44,152
	अम्बाला-कुल्लू =2 एस0 टी0	एन0 एच0=194×2=388 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =8	49,340	48,213	1,127	27,048
	यमुनानगर-मनाली=2 एस0 टी0	एन0 एच0=236×2=472 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =8	60,022	57,988	2,034	48,816
	चण्ड़ीगढ़ -मनाली= 4 आर0टी0 अन्नतपुर-नयनादेवी=2 आर0टी0 चण्ड़ीगढ़- गुरू का लाहौर=2 आर0टी0	एन0 एच0=236×8=1888 आर0 आर0=42 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =8	2,42,766	2,28,705	14,061	3,37,464
योग	**7 रूट परमिट**		**5,92,217**	**5,64,822**	**27,395**	**6,57,480**
सोलन	चण्ड़ीगढ़ -शिमला= 9 आर0टी0 चण्ड़ीगढ़ -बद्दी= 4 आर0टी0 चण्ड़ीगढ़ -नालागढ़= 2 आर0टी0	एन0 एच0=70×18=1260 आर0 आर0=16×18=288 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =18 एन0 एच0=17×4=68	1,78,596 8,647			
योग	**15 रूट परमिट**		1,87,233	79,170	1,08,063	25,93,512
सकल योग	**22 रूट परमिट**		**7,79,450 अर्थात् ₹7.79 लाख**	**6,43,992 अर्थात् ₹6.44 लाख**	**1,35,458 अर्थात् ₹1.35 लाख**	**32,50,992 अर्थात् ₹32.51 लाख**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in